वार्षिक रिपोर्ट
2011-12

दिल्ली के भावी स्वरुप को संवारना

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दि०वि०प्रा० की वेबसाइट: www.dda.org.in

श्री कमल नाथ, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारका में दि.वि. प्रा. द्वारा प्री–फेब तकनीक से निर्मित किए जा रहे ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करने के अवसर पर जन समूह को सम्बोधित करते हुए।

श्री कमल नाथ, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारका में ईडब्ल्यूएस आवासों का उद्घाटन करने के दौरान पट्टिका का अनावरण करते हुए।

श्री तेजेन्द्र खन्ना, उप राज्यपाल, दिल्ली और डॉ. सुधीर कृष्णा, सचिव शहरी विकास अरावली जैव–वैविध्य पार्क में।

विषय–सूची

1.	दिल्ली एवं दि.वि.प्रा. एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	01
2.	वर्ष की विशेषताएं	03
3.	प्राधिकरण का प्रबन्ध तंत्र	05
4.	कार्मिक विभाग	09
5.	सतर्कता विभाग	11
6.	विधि विभाग	13
7.	प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग	14
8.	इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप	16
9.	योजना और वास्तुकला	20
10.	आवास	30
11.	भूमि प्रबन्ध और भूमि निपटान विभाग	31
12.	खेल विभाग	33
13.	उद्यान – राजधानी को हरा–भरा बनाना	37
14.	कोटि आश्वासन कक्ष	38
15.	वित्त एवं लेखा विंग	40

वसन्त कुंज में वसन्त वाटिका का एक दृश्य

1. दिल्ली एवं दि.वि.प्रा. एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय पौराणिक कथाएं बताती हैं कि जिस दिल्ली को हम आज देख रहे हैं वह कभी पांडवों के शासन के दौरान इन्द्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, जिन्होंने कौरवों द्वारा दी गई बंजर भूमि को एक रमणीय स्थान में तब्दील कर दिया था। दिल्ली ऐसे अनेक शासकों के साम्राज्यों के उत्थान और पतन की साक्षी रही है, जिन्होंने ऐसे हजारों ऐतिहासिक स्मारकों के निशान छोड़ दिए हैं जो हमारे राष्ट्र के विगत का वृत्तान्त प्रस्तुत करते हैं। यह एक रहस्यमय, अद्भुत शाश्वतता का ऐसा शहर है, जिसके प्राचीन खंडहर एवं भग्नावशेष इसके शानदार विगत का प्रमाण देते हैं। इसके वर्तमान में 21वीं शताब्दी के भारतीय जीवन की नित्यता धड़कती है।

दिल्ली, आद्योपान्त अपने शाही इतिहास में, अधिकतर साम्राज्यों की राजधानी रही है और 6वीं ईसवीं सदी से ही लगातार आबाद और बरबाद होती रही है। मध्यकाल के दौरान अनेकों बार आक्रमणों को झेलने और लूटे जाने के बावजूद, दिल्ली सदैव बार–बार बनती रही है, बसती रही है और शायद यह और अधिक खूबसूरती एवं शान से अपने को सजाती–संवारती रही है। दिल्ली में अनेक राजधानी नगरों, कई प्राचीन और मध्यकालीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों के अवशेष मौजूद हैं।

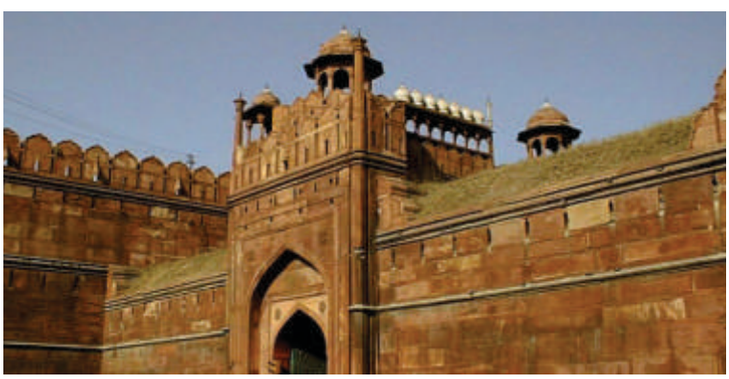

लाल किला

अब दिल्ली का नाम प्रायः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट शहरी इलाकों जो महानगर के अन्दर आते हैं, के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे भारत की राजधानी, नई दिल्ली के नाम से भी पुकारा जाता है। तथापि, आधुनिक समय में, दिल्ली सन् 1911 में सरकारी कार्यकलापों का केन्द्र बन गई थी, जब ब्रिटिश शासकों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। शुरू में उत्तरी रिज को दिल्ली की राजधानी प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाद में 'रायसीना हिल्स' के आस–पास के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। प्रख्यात नगर नियोजक एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने वर्ष 1912 में नई दिल्ली नगर की योजना बनाई। सन् 1922 में दिल्ली कलैक्ट्रैट में एक छोटा नजूल कार्यालय, जिसमें 10–12 अधिकारी/कर्मचारी थे स्थापित किया गया, जो कि नगर के नियोजित विकास को नियंत्रित करने वाला प्रथम प्राधिकरण था।

1937 में, इस नजूल कार्यालय को ''इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट'' में अपग्रेड कर दिया गया, जिसे भवन निर्माण कार्यकलापों को नियंत्रित करने और भूमि उपयोग का नियमन करने के उद्देश्य से यूनाइटिड प्रोविन्सेज इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1911 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित किया गया था।

1947 में भारत की आज़ादी के बाद और परिणाम स्वरूप लोगों के प्रवासन/स्थानांतरण के कारण दिल्ली की जनसंख्या 1951 तक 7 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गई, और प्रवासियों द्वारा खुले स्थानों पर कब्ज़ा कर लिया गया। ऐसे दबाव का परिणाम यह हुआ कि नागरिक सेवाएं वास्तविक रूप में ठप्प हो गई। उस समय दो स्थानीय निकाय 'दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट' और 'नगर निकाय' उस बदलते हुए हालात का मुकाबला करने और स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त–रूप से तैयार नहीं थे। दिल्ली को नियोजित करने तथा इसके द्रुतगतिक एवं अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए 1950 में जी.डी. विरला की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई। इस समिति ने दिल्ली के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक 'अकेला नियोजक एवं नियंत्रक प्राधिकरण' बनाने की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप, दिल्ली (भवन निर्माण कार्यकलापों का नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 जारी करके दिल्ली विकास (अस्थाई) प्राधिकरण–डीडीपीए गठित किया गया, जिसे बाद में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य दिल्ली का विकास सुनिश्चित करना था।

27 दिसम्बर, 1957 को, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपना वर्तमान नाम प्राप्त किया और इसकी भूमिका दिल्ली महानगर के 9वें भवन निर्माता के रूप में रही।

कुतुब मीनार

दिल्ली के अव्यवस्थित विकास को रोकने और एक व्यवस्थित एवं संरचनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1982 तक के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 1962 में दिल्ली मुख्य योजना बनाई, इसमें नई भूमि की पहचान करना/निर्धारित करना शामिल था, जिसे आवासीय सम्पत्तियों में विकसित किया जा सके और वहाँ पर पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक कार्यालय तथा खुदरा परिसरों की व्यवस्था करके स्वतःपूर्ण कॉलोनियां बनाई जा सकें। इस मुख्य योजना को 2001 तक के परिप्रेक्ष्य सहित व्यापक रूप से संशोधित किया गया और इसे 1990 में अपनाया गया। इसे आगे विजन और नीतिगत दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 2021 तक की अवधि के परिप्रेक्ष्य में फिर व्यापक रूप से संशोधित किया गया और 7 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया।

लाडो सराय में कुतुब गोल्फ कोर्स

समाज की तेजी से बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार, प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर योजना की समीक्षा करने का प्रस्ताव था।

मुख्य योजना के अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. क्षेत्र विशेष पर ध्यान देते हुए क्षेत्रीय योजनाएं (जोनल प्लान) ऐक्शन एरिया प्लान, शहरी विस्तार परियोजनाएं आदि बनाता है। इनमें आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक परिसर और कार्यालय स्थान, भूमि विकास, परिवहन, आधारभूत संरचना, दिल्ली में अज्ञात विरासत स्थलों की पहचान और उनका संरक्षण, खेल परिसर, खेल के मैदान, गोल्फ कोर्स, अविच्छिन्न पर्यावरण, हरित पट्टियों/क्षेत्रों और वनों आदि का संरक्षण शामिल है।

इन प्रयासों ने दिल्ली को 4 क्षेत्रीय पार्कों, 25 नगर वनों, 111 जिला पार्कों, 225 समीपस्थ पार्कों, 26 खेल के मैदानों और 14 खेल परिसरों सहित एक सुनियोजित तथा विश्व की सबसे अधिक हरीभरी राजधानियों में से एक शहर बना दिया है। शहर के प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों का विकास करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैव–वैविध्य स्थलों के पारिस्थितिकीय सौंदर्य एवं सांस्कृतिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली जैव–वैविध्य फाउंडेशन स्थापित की है। यह फाउंडेशन दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किए जा रहे जैव–वैविध्य पार्कों की ऐसे वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा तकनीकी जानकारी सहित संस्थापना करती है जो जीव–विज्ञान (बायोलोजी), पारिस्थितिकी और वन्य जीवन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। हरित क्षेत्रों और जैव–वैविध्य पार्कों का रख–रखाव करने के अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में न केवल खेल सुविधाओं के एक विशाल नेटवर्क का सृजन करता है, बल्कि यह दिल्ली महानगर में युवा होनहार खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों और अनेक विरासत स्थलों को भी संरक्षित करने में दि.वि.प्रा. ने न केवल उनके विकास की चुनौतियों को स्वीकार करने की अपनी भूमिका को विस्तृत आयाम दिया है, बल्कि नगर की सुंदरता के विभिन्न पहलुओं का भी संरक्षण किया है। आवागमन को सुचारु रूप से संचालित करने के दृष्टिकोण से, परिवहन की समस्या से निजात पाने और भीड़–भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ''एकीकृत यातायात और परिवहन आधारिक संरचना योजना एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (यूटीटीआईपीईसी) स्थापित किया गया है जो सड़कों, राजमार्गों और विशेष रूप से दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु योजना पहलुओं पर निगरानी रखता है।

इन संचयी प्रयासों द्वारा दि.वि.प्रा. शहर के रंग–रूप और यहाँ की परम्पराओं को बदल रहा है और इसे भारत के सुन्दरतम शहरों में से एक बना रहा है जोकि 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का समाना करने के लिए पूर्णतया तैयार है।

मथुरा रोड पर पुराने किले का दृश्य

2. वर्ष की विशेषताएं

2.1 वर्ष 2011–12 के दौरान, दि.वि.प्रा. ने मुख्य योजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार, अपने विकास क्रियाकलापों और नगर की सीमाओं का विस्तार करने का कार्य निरंतर रूप से जारी रखा और सड़कों, सीवरेज, जल निकासी, जल आपूर्ति, पावर लाइनों तथा मनोरंजनात्मक सुविधाओं आदि का विकास एवं सृजन किया। दि.मु.यो.–2021 में यथा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, अनेक नीतियाँ अधिसूचित की गई हैं और कई एक विभिन्न स्तरों पर अनुमोदनार्थ आगे भेजी जा चुकी हैं। विद्यमान पेट्रोल पम्प स्थलों पर व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रावधान, असंगत/अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक समूहों एवं सघनता का पुनर्विकास करने से संबंधित नीतियाँ अधिसूचित की गई हैं। अन्य नीतियाँ जैसे – अस्थाई सिनेमाघरों का नियमन, दिल्ली के फार्म हाउसों पर नीति, बैंकट हॉलों पर नीति, लैंड पूलिंग पर आधारित भू–समूहन नीति और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शहरी क्षेत्रों में गोदामों के नियमन हेतु नीति बनाना आदि अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

अप्रैल 2011 में आवास योजना 2010 के अन्तर्गत 16118 फ्लैटों के आवंटन का एक ड्रॉ सफलतापूर्वक निकाला गया। इस योजना के अन्तर्गत कुल 7.56 लाख आवेदन प्राप्त हुए। यूटीटीआईपीईसी शासी निकाय की कुल 6 बैठकें आयोजित की गईं और कई परियोजनाएं/योजनाएं अनुमोदित की गईं। फेज–I में, स्व–स्थाने पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत नागरिक सुख–सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 21 स्लम समूहों को चिन्हित किया गया है। पटेल नगर के निकट कठपुतली कॉलोनी में स्व–स्थाने विकास का कार्य अवॉर्ड कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

2.2 आवास

वित्त वर्ष के आरंभ में 36,185 मकान बनाए जा रहे थे। इनमें से 8301 मकान पूरे हो चुके हैं। 31 मार्च, 2012 को 27,884 मकान निर्माणाधीन थे। इनमें 1019 म.आ.व., 139 नि.आ.व., 24582 ई.डब्ल्यू.एस. और 2144 एचआईजी श्रेणी के हैं।

ड्रा के माध्यम से 1–शयन कक्ष, 2–शयन कक्ष और 3–शयन कक्ष वाले फ्लैटों के आवंटन हेतु नवम्बर 2010 में 'डीडीए आवास योजना 2010' आरंभ की गई थी। 7.56 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु दिनांक 18.04.2011 को एक कंप्यूटरीकृत ड्रा निकाला गया और कुल 16,118 फ्लैट आवंटित किए गए।

हौज़ खास में जिला पार्क

सरिता विहार में डीडीए फ्लैट

2.3 भूमि अधिग्रहण/विकास

आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक भूमि आदि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दि.वि.प्रा. ने रोहिणी, जसोला, द्वारका, नरेला आदि में बड़े पैमाने पर भूमि विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है।

वर्ष 2011–12 के दौरान 329.08 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा लिया गया।

2.4 भूमि का निपटान

i) आवासीय प्लॉट : 2011–12 के दौरान 186 आवासीय प्लॉट आबंटित/नीलाम किए गए और प्राशुल्क (प्रीमियम) के रूप में 709.22 लाख रू. की राशि प्राप्त हुई।

ii) व्यावसायिक संपदा इकाइयाँ : 2011–12 के दौरान निविदा के माध्यम से 88 व्यावसायिक सम्पदा इकाइयाँ 1467.665 लाख रू. के प्राशुल्क पर बेची गई।

2.5 हरित क्षेत्रों का विकास और रखरखाव

दिल्ली में हरित क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जो नगर में वायुप्रद स्थल के रूप में कार्य करते हैं। दि.वि.प्रा. ने 4 क्षेत्रीय पार्कों, 111 जिला पार्कों, 25 नगर वनों, 605 मुख्य योजना हरित क्षेत्रों/जोनल हरित क्षेत्रों/हरित पट्टियों, 255 समीपवर्ती पार्कों, 1872 समूह आवासीय हरित क्षेत्रों, 13 खेल परिसरों और 3 लघु खेल परिसरों के रूप में लगभग 5050 हेक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया है। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर चलाए गए एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान में वृक्षों और झाड़ियों की लगभग 4.874 लाख से अधिक छोटी–छोटी पौध लगाई गई। नए मैदानों (लॉन) के रूप में 111.15 एकड़ भूमि का विकास किया गया और 31 बाल उद्यानों/पार्कों का भी विकास किया गया है।

2.6 निर्माण गिराना

निर्माण गिराने के 258 कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 2642 अनधिकृत ढांचे हटाए गए और लगभग 50.238 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

2.7 कोटि नियन्त्रण

अपनी चल रही विभिन्न परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, कोटि आश्वासन कक्ष ने 170 निरीक्षण किए हैं, 342 यादृच्छिक (रेंडम) नमूने एकत्र किए है और अपनी प्रयोगशाला में 98 जांच की हैं।

कोटि आश्वासन कक्ष के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, बीआईएस ने दि.वि.प्रा. को आईएस/आईएसओ 9001:2000 के लिए ''गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली'' प्रमाणन लाइसेंस सीआरओ/क्यूएससी/एल 8002720 प्रदान किया है जो मार्च 2013 तक मान्य है।

2.8 प्रशिक्षण

तेजी से बदलती कार्य संस्कृति में विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से, कर्मचारियों को अद्यतन रखने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक हो गया है। दि.वि.प्रा. की प्रशिक्षण संस्था ने दि.वि.प्रा. में ही 42 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 1520 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा 253 अधिकारियों/कर्मचारियों को 22 बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया।

2.9 डीएमआरसी को सहायताः–

कनैक्टिविटी को सुधारने और सुगम परिचालन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए दि.वि.प्रा. ने मैट्रो फेज़–III के विकास हेतु 1500 करोड़ रू. की राशि अनुमोदित की थी, जिसमें से वर्ष 2011–12 के दौरान, डीएमआरसी को पहली किश्त के रूप में कुल 300 करोड़ रू. जारी किए गए। शेष राशि समयानुसार चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

2.10 उपभोक्ता संतुष्टि के प्रयास

वर्ष के दौरान विभिन्न लेन–देनों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना का अधिकतम प्रचार सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए और आवंटितियों को आसानी से सूचना उपलब्ध करायी गई। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गएः

i) टेलीकाउंसिलिंग सर्विस ने टेलिफोन नम्बर 39898911 पर आवंटितियों को विभिन्न लेन–देनों से संबंधित सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई।

ii) दि.वि.प्रा. के विकास सदन एवं विकास मीनार कार्यालयों में टच स्क्रीन टेकनॉलोजी वाले सूचना कियोस्क कार्य कर रहे हैं। ये कियोस्क वरीयता संख्याओं, योजनाओं, प्रक्रियाओं, नीतियों आदि के संबंध में और विभिन्न सौदों के प्रारूपों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करते हैं, जिनको नाममात्र का शुल्क देकर इन कियोस्क से डाउनलोड भी किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस की सूचना भी इन कियोस्कों पर उपलब्ध है।

iii) उपभोक्ताओं को अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य योजना सहित सभी नई परियोजनाओं/नीतियों पर जानकारी शामिल करके दि.वि.प्रा. की मौजूदा वेबसाइट को अद्यतन किया गया है। यह द्वि भाषी है। इस पर सार्वजनिक सूचनाएं और निविदा सूचनाएं भी उचित प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। भू–खण्ड (प्लाट्स), निर्मित इकाइयों और फ्लैटों जैसी सम्पत्तियों के आवंटन के परिणाम लॉटरी द्वारा ड्रा निकालने के बाद तुरन्त वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं।

iv) सलाहकार के रूप में अनुभवी कर्मचारियों को तैनात करके परामर्श सेवाओं को भी सशक्त बनाया गया है।

2.11 सूचना अधिकार अधिनियम–2005,

सूचना अधिकार अधिनियम–2005, 12 अक्तूबर 2005 से लागू हुआ। दि.वि.प्रा. ने 84 जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं। सूचना अधिकार अधिनियम, जन सूचना अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों के संबंध में सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गई है। सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने से दिनांक 31.03.2012 तक सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 77,810 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 73,555 आवेदनों का निपटान कर दिया गया है और 4255 प्रक्रियाधीन हैं।

2.12 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दिनांक 31.10.2011 से 05.11.2011 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दि.वि.प्रा. के 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को दि.वि.प्रा. के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दो विभागों अभियंता सदस्य कार्यालय और खेलकूद विभागों को पारदर्शिता लाने और वेबसाइट के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रशंसनीय कार्य के लिए ट्रॉफी प्रदान की गई।

स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी में झील

3. प्राधिकरण का प्रबन्ध तंत्र

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–3 के अंतर्गत किया गया। अतः यह एक निगमित निकाय है जिसके पास सम्पत्ति को अधिग्रहण करने, स्वामित्व रखने और उसके निपटान करने की शक्ति है। यह किसी पर मुकदमा चला सकता है और इस पर कोई मुकदमा चला सकता है। श्री तेजेन्द्र खन्ना, एक प्रसिद्ध प्रशासक, जिन्होंने अप्रैल 2011 को उप राज्यपाल, दिल्ली और अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यभार संभाला है, संगठन की विविध गतिविधियों में निदेश दे रहे हैं। वर्ष के दौरान प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार हैः–

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

श्री तेजेन्द्र खन्ना 01.04.2011 से 31.03.2012
धारा 3(3) क

श्री जी.एस.पटनायक 01.04.2011 से 31.03.2012
धारा 3(3) ख

श्री नन्दलाल, वित्त सदस्य 01.04.2011 से 29.12.2011
धारा 3(3) ग

श्री अशोक खुराना, अभियंता सदस्य 01.04.2011 से 31.03.2012
धारा 3(3) घ

श्री राजेश गहलौत 01.04.2011 से 31.03.2012
पार्षद (दि.न.नि.)
धारा 3(3) ड.

श्री सुदेश कुमार भसीन 01.04.2011 से 31.03.2012
पार्षद (दि.न.नि.)
धारा 3(3) ड.

श्री सुभाष चोपड़ा 01.04.2011 से 31.3.2012
विधायक
धारा 3(3) च

श्री नसीब सिंह 01.4.2011 से 31.3.2012
विधायक
धारा 3(3) च

डॉ. हर्ष वर्धन 01.4.2011 से 31.3.2012
विधायक
धारा 3(3) च

श्री एम.एम. कुट्टी 01.4.2011 से 11.5.2011
संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
धारा 3(3) छ

श्री अरुण गोयल 12.5.2011 से 16.9.2011
संयुक्त सचिव (डी एंड एल), श.वि.मंत्रालय
धारा 3(3) छ

श्री डी.दीप्ति विलास 05.03.2012 से 31.03.2012
अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
धारा 3(3) छ

जितेन्दर कुमार कोचर 30.1.2012 से 31.3.2012
धारा 3(3) छ

श्री के.एस. मेहरा 01.04.2011 से 31.3.2012
धारा 3(3) ज

01.4.2011 से 31.3.2012 के दौरान प्राधिकरण की 7 बैठकें हुईं और उनमें कुल 97 मदों पर विचार किया गया।

3.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद

यह. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–5 के अंतर्गत गठित निकाय है। यह प्राधिकरण को मुख्य योजना की तैयारी करने और योजना और विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा इस अधिनियम के लागू करने के संबंध में उठने वाले मामलों, जो प्राधिकरण इसे भेजता है, पर सलाह देता है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार रहा हैः–

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्य

अध्यक्ष

श्री तेजेन्द्र खन्ना 01.04.2011 से 31.03.2012

लोक सभा

श्री जे.पी. अग्रवाल 01.4.2011 से 31.3.2012

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 01.4.2011 से 31.3.2012

राज्य सभा

डॉ. कर्ण सिंह 01.4.2011 से 27.01.2012

केन्द्र सरकार द्वारा नामित

श्री जे.पी. गोयल 01.4.2011 से 31.3.2012

श्री छत्तर सिंह 01.4.2011 से 31.3.2012

श्री सुनील देव 01.4.2011 से 31.3.2012

श्री विजय मोटवानी 03.8.2011 से 31.3.2012
मुख्य अभियंता, एनडीजैड–1, सीपीडब्ल्यूडी

श्री आर.के. कक्कड़ 13.12.2011 से 31.3.2012
मुख्य वास्तुकार (सेवा निवृत्त)सीपीडब्ल्यूडी

सदस्यः

श्री संजीव नैय्यर 1.4.2011 से 31.12.2012
पार्षद (दि.न.नि.)

श्री संजय सुर्जन 01.4.2011 से 31.3.2012
पार्षद (दि.न.नि.)

श्री रवि प्रकाश शर्मा 10.4.2011 से 31.3.2012
पार्षद (दि.न.नि.)

श्री सतबीर शर्मा 01.4.2011 से 31.3.2012
पार्षद (दि.न.नि.)
अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम
अध्यक्ष, सी.ई.ए.

महानिदेशक (रक्षा सम्पदा), रक्षा मंत्रालय
अपर निदेशक (जन.) (आरडी)

श्री जे.बी. क्षीर सागर 01.4.2011 से 31.3.2012
मुख्य योजनाकार (टीसीपीओ)

महाप्रबंधक (विकास), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
नगर स्वास्थ्य अधिकारी (दि.न.नि.)

3.3 सूचना अधिकार कार्यान्वयन और समन्वय शाखा

सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी की भावना को सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक अधिनियम, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है, 12 अक्तूबर 2005 से लागू किया गया है।

दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में आर.टी.आई. के लिए **14** पृथक काउंटर खोले है जहां शुल्क सहित फार्म/आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जाते हैं। दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकार भी नियुक्त किए हैं, जो जनता को आर.टी.आई. के संबंध में सहायता प्रदान करते हैं। आर.टी.आई. के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए एक फार्म तैयार किया गया है जोकि अनिवार्य नहीं है एवं निशुल्क है। दि.वि.प्रा. डाक द्वारा, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से सादे कागज पर भी आवेदन पत्र स्वीकार करता है।

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से संबंधित **84** पी.आई.ओ. नियुक्त किए हैं। सभी पी.आई.ओ. को ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करायी गयी है, जिससे जनता पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियो से आसानी से सम्पर्क कर सकें।

अधिकारियों को आर.टी.आई. के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाया गया है। पी.आई.ओ. में जागरूकता लाने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर आर.टी.आई. के संबंध में पूरी जानकारी, पी.आई.ओं और अपील प्राधिकारियों की सूची, आवेदन–पत्र और आर.टी.आई. के संबंध में अन्य विविध सूचना उपलब्ध है।

12 अक्तूबर 2005 से 31 मार्च 2012 तक दि.वि.प्रा. को अधिनियम के अंतर्गत **77810** आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से **73555** आवेदन पत्रों को निपटाया गया और **4255** आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। ये आवेदन पत्र 30 दिनों से कम अवधि के है। **320** आवेदन पत्र ऐसे हैं जो आवेदकों से दस्तावेज, भुगतान प्राप्त न होने और आवेदकों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान **17660** आवेदन प्राप्त हुए और **13405** निपटाए गए।

3.4 स्टाफ क्वार्टर आवंटन शाखा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस शाखा में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन एवं आवंटित क्वाटरों के परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान 218 स्टाफ क्वार्टर नए आवंटित किए गए और 73 क्वार्टरों का परिवर्तन निम्न विवरणानुसार किया गया:–

स्टाफ क्वार्टर की श्रेणी	नए आवंटन	परिवर्तन	कुल
टाइप I	45	10	**55**
टाइप II	80	20	**100**
टाइप III	73	37	**110**
टाइप IV एवं ऊपर	20	06	**26**
कुल	**218**	**73**	**291**

3.5 नजारत शाखा

नजारत शाखा का मुख्य कार्य कार्यालय के कार्यों को सुगमता से करने के लिए विभिन्न मदों जैसे: स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कार्यालय उपकरण अर्थात फोटोकॉपिंग मशीन, फैक्स मशीनों, सेल फोन, क्रॉकरी, केलकुलेटर्स, कम्प्यूटर आदि के लिए इंक कार्टरिज आदि उपलब्ध करना और उन्हें जारी करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह शाखा कार्यालय में अपेक्षित अन्य मदें अर्थात डैजर्ट कूलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर्स आदि संबंधित स्टाफ को समय पर उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संबंधित स्टाफ को समय पर सारा सामान मुहैया कराने और उसका प्रबंध करने हेतु समय–समय पर **15** बैठकें आयोजित की गईं। यह शाखा कार्यालय स्थान के आवंटन का कार्य भी करती है।

3.6 हिन्दी विभाग

सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु हिन्दी विभाग ने 01.4.2011 से 31.3.2012 तक की अवधि में 31 निरीक्षण किए और दि.वि.प्रा. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 बैठकें आयोजित की। कर्मचारियों को हिन्दी–टिप्पण एवं प्रारूपण प्रशिक्षण देने के लिए 3 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें 132 कर्मचारियों ने भाग लिया।

सितंबर 2011 में ''हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास'' का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान हिन्दी वाद–विवाद, हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण, हिन्दी निबन्ध, हिन्दी निबन्ध (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए), हिन्दी सुलेख और हिन्दी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कुल 416 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

कुल 48 पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कारों की कुल राशि **94,800/–रुपये** थी। इन प्रतियोगिताओं के लिए बाहर से 9 जज आमंत्रित किए गए थे और उन्हें मानदेय दिया गया। ''हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास'' के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें 61 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

हिन्दी नोटिंग–ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता का एक दृश्य

– उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में लेखा परीक्षा रिपोर्ट (2010–2011) का अनुवाद, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (2010–2011) का अनुवाद, मुख्य योजना से संबंधित कार्य का अनुवाद, भर्ती विनियमों, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के फार्मों इंजीनियरिंग विंग (भाग–2) के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, दि.वि.प्रा. (वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों) विनियम 1961, निदेशक (खेलकूद) से प्राप्त सामग्री और लोक लेखा समिति की सामग्री का अनुवाद भी किया गया।

इसके अतिरिक्त, समय–समय पर विभिन्न अनुभागों से प्राप्त फार्मों, परिपत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदाओं, विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा प्रश्नों, अधिसूचनाओं, आरटीआई पत्रों, विज्ञापनों इत्यादि का अनुवाद किया गया।

3.7 जन सम्पर्क विभाग

दि.वि.प्रा. के जन सम्पर्क विभाग को, भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलापों को करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरें तय करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं, आदि सहित त्रैमासिक विभागीय पत्रिका, खेलकूद न्यूज लैटर, प्रचार साहित्य का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलनों/प्रेस भ्रमणों आदि की व्यवस्था भी करता है। विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना, प्रत्युत्तर जारी करना, जैसे कुछ अन्य कार्य हैं, जो इस विभाग को सौंपे गए हैं।

01.04.11 से 31.03.12 तक की गतिविधियां

1. 34 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में) जारी की गयीं जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों तथा आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञप्तियों को प्रिंट के साथ–साथ श्रव्य – दृश्य में भी कवर किया गया।
2. दूरदर्शन पर ''डेटलाईन–दिल्ली–के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक श्रव्य दृश्य कैप्सूल जुलाई 2006 से प्रत्येक पखवाड़े में दिखाया गया। 01.4.11 से 31.3.12 के दौरान 24 कड़ियां दिखाई जा चुकी हैं।
3. अभियानों सहित विभिन्न समाचार–पत्रों में 93 विज्ञापन (अंग्रेजी+हिन्दी) प्रकाशित किए गए।
4. विभिन्न समाचार–पत्रों में छपी 65 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और सम्पादकों को 13 पत्र (खण्डन) जारी किए गए।
5. स्वागत कक्ष पर कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति और प्रेषण काउन्टरों के द्वारा 124396 पत्र प्राप्त हुए और 71792 पत्र प्रेषित किए गए।
6. पुस्तकालय के लिए 537 नई पुस्तकें खरीदी गईं। दैनिक समाचार पत्रों में से दि.वि.प्रा. से सम्बन्धित लगभग, 4044 प्रेस कतरनें काटीं गईं और वरिष्ठ अधिकारियों में जानकारी अथवा प्रतिक्रिया यदि कोई हो तो, हेतु प्रचालित की गई।
7. दिल्ली विकास वार्ता के 2 अंकों का संपादन और मुद्रण किया गया। इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2010–11 का संपादन और मुद्रण किया गया।

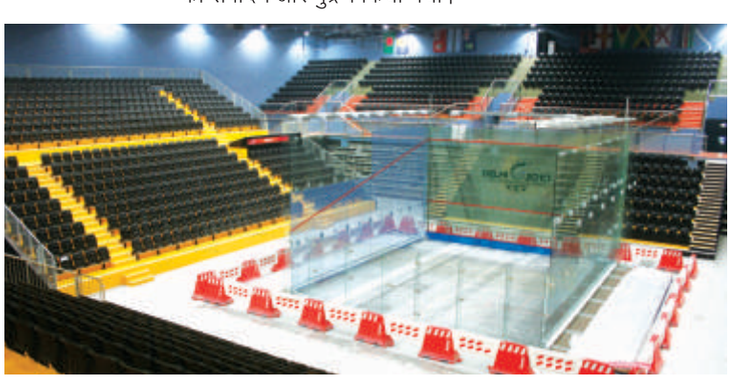

सीरी फोर्ट खेल परिसर में ग्लास वॉल्ड स्क्वॉश कोर्ट

8. 'स्पोर्ट्स न्यूज लैटर' के 4 अंकों का सम्पादन किया गया और ये प्रकाशित किए गए तथा खेल विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा वितरित किए गए।
9. फोटो सेक्शन द्वारा 120 समारोहों को कवर किया गया। 6290 फोटोग्राफ लिए गए और 1870 फोटोग्राफ डेवलप/मुद्रित किए गए और प्रकाशन एवं रिकार्ड के लिए जारी किए गए।
10. दिनांक 01.04.11 से 31.3.12 तक की अवधि के दौरान, टेली–काउन्सिलिंग के माध्यम से 42242 कॉल सुनी गयीं।
11. दि.वि.प्रा. की वर्ष 2012 की 3500 डायरियाँ और वर्ष 2012 के 30000 वॉल कैलेन्डर मुद्रित किए गए और उन्हें वितरित किया गया।
12. निदेशक (जन शिकायत) के कार्यालय में 155 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 37 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है और 118 शिकायतें विभागाध्यक्षों के पास लंबित हैं।
13. शहरी विकास मंत्रालय से 102 जन शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा 90 मामले निपटा दिए गए और शेष 12 मामले उनके पास विचाराधीन हैं।
14. 'आगन्तुक पुस्तिका' के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई।

3.8 जन शिकायत निवारण प्रणाली

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक 10 लाख से भी अधिक आवासीय इकाइयों, 640 से भी अधिक व्यावसायिक स्थानों, 22 औद्योगिक सम्पदाओं, लगभग 3600 सांस्थानिक प्लॉटों, 13+3 खेल परिसरों और विशाल हरित क्षेत्रों का विकास किया है/सुविधाओं की व्यवस्था की है। इतने भारी विकास के कारण एक बड़े पैमाने पर जन–प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और अत्यधिक लेन–देन होने के कारण बड़ी संख्या में जन–शिकायतें भी होती रहती हैं।

दि.वि.प्रा. निपटान में विलम्ब को कम करने, शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने और सुविधाजनक सूचना प्रदान करने के लिए नवीन उपाय अपनाकर एक उपभोक्ता–अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संगठित प्रयास करता रहा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में नियमित निगरानी, त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई, शक्तियों का प्रत्यावर्तन और विभिन्न तरीकों द्वारा सूचना का विकेन्द्रीकरण एवं प्रसारण शामिल है।

दि.वि.प्रा. जन शिकायत निवारण की एक 4 टियर–प्रणाली अपना रहा है जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायतों/समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु किसी भी कार्यशील सोमवार और वीरवार को अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे के बीच उप–निदेशकों, निदेशकों, आयुक्तों और प्रधान आयुक्तों से मुलाकात कर सकते हैं। उपाध्यक्ष भी जनता से प्रत्येक बुधवार को पहले कोई समय लिए बिना मिलते हैं और अन्य दिनों में पहले समय लेने पर मिलते हैं ताकि वरिष्ठतम अधिकारी आगन्तुकों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहें।

''उप राज्यपाल के सुनवाई पद'' के रूप में एक पंचम टियर (फिफ्थ टियर) भी सृजित किया गया है। अब जनता अपनी शिकायतों को उच्चतम स्तर पर रख सकती है। यह टियर वर्ष 2007 में जोड़ा गया है। यह प्रणाली नागरिक संबंध और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के नाम से जानी जाती है और यह माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली द्वारा 9 मई, 2007 को राज निवास में आरंभ की गई थी। यह प्रणाली एक ''सहायता कक्ष'' है जो जनता से दिल्ली के विभिन्न नगर निकायों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है। नागरिक अपनी शिकायतें एक नंबर 155355 पर कॉल करके दर्ज करा सकता है। दि.वि.प्रा.

से संबंधित सभी शिकायतें संबंधित विभागाध्यक्ष की मेल आईडी पर तत्काल प्रदर्शित की जाती हैं। यह साइट सभी विभागाध्यक्षों द्वारा रोजाना खोली जाती हैं। इसके अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को तत्काल दूर किया जाता है। पंजीकरण के दिए गए टेलीफोन नंबर पर शिकायतकर्ता से सम्पर्क भी किया जाता है। इन शिकायतों का निपटान ऑन लाइन रिकॉर्ड किया जाता है और उप–राज्यपाल द्वारा मॉनीटर किया जाता है। संतोषजनक निवारक कार्रवाई किए जाने के बाद ही ये शिकायतें सूची से हटाई जाती हैं।

शिकायतों का निपटानः

1. **स्वागत काउन्टरों पर प्राप्त शिकायतेंः** जनता द्वारा स्वागत काउन्टरों पर प्रस्तुत की गई शिकायतें कम्प्यूटरीकृत होती है और प्रत्येक शिकायत के लिए क्रम संख्या के साथ एक पावती दी जाती है। काउन्टरों पर प्रति दिन प्राप्त सभी शिकायतों की सूची संबंधित विभागाध्यक्षों को मॉनीटरिंग और त्वरित कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

2. **जन सुनवाई के दिनों में प्राप्त शिकायतेंः** उप–निदेशकों, निदेशकों और आयुक्तों द्वारा जन सुनवाई प्रत्येक कार्यदिवस सोमवार और वीरवार को अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के मध्य की जाती है। सार्वजनिक सुनवाई में कोई शिकायतकर्ता व्यक्ति उसी समय समाधान हेतु विभागाध्यक्षों, संबंधित निदेशक और उपनिदेशक से मिल सकता है। संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा इन शिकायतों की नियमित जांच की जाती है।

3. उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त शिकायतें, संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजी जाती हैं और उपाध्यक्ष द्वारा मॉनीटर्ड की जाती है।

4. ''उप राज्यपाल के सुनवाई पद'' से प्राप्त शिकायतों को तत्काल निपटान हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है और हाल की स्थिति वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

5. शिकायतें जन शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत से भी प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें दि.वि.प्रा. के जन शिकायत विभाग द्वारा तुरन्त निवारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दी जाती है।

   इन शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उनके तीव्र निपटान के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। उनके निपटान की मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च स्तर पर समय–समय पर नियमित समीक्षा की जाती है।

6. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दि.वि.प्रा. को भेजी जाने वाली शिकायतें निवारण हेतु उपाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं। उनके निवारण की समीक्षा समय–समय पर आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. और मंत्रालय द्वारा की जाती हैं।

इस प्रकार उपभोक्ता–संतुष्टि के लिए दि.वि.प्रा. ने एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई हुई है। उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि के लिए स्वागत कक्ष पर सलाहकारों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है। मार्ग दर्शन करने के लिए और फार्म भरने, प्रलेखन, परिकलन आदि संबंधी सहायता करने के लिए स्वागत कक्ष में 5 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सभी कार्यदिवसों को टेलीफोन नं. 39898911 पर एक विशेष परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई गई है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कार्यप्रणाली, प्रलेखन, नई योजना आदि के बारे में टेलीफोन पर सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये सेवाएं आम जनता के लिए वेबसाइट और विकास सदन एवं विकास मीनार स्थित टच स्क्रीन क्योस्क पर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त हैं।

2011–12 के दौरान प्राप्त की गई और निपटान की गई शिकायतों की स्थितिः–

i. 01.4.2011 को 34 मामले लंबित थे और जन शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार से 93 नई शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 65 मामलों को निपटाया जा चुका है और 62 मामले विभागाध्यक्षों के यहां लंबित हैं।

ii. डी.ए.आर.पी.जी. से 22 मामले प्राप्त हुए और इनमें से 2 मामलों को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा निपटाया गया है तथा शेष 20 मामले उनके यहां लंबित हैं।

iii. शहरी विकास मंत्रालय से 102 जन शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से 90 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया और शेष 12 मामले उनके यहां लंबित हैं।

iv. निदेशक (जन शिकायत) के कार्यालया में 155 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 37 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया तथा शेष उनके यहां लंबित हैं। विकास सदन के स्वागत कक्ष में रखी हुई 'आगन्तुक पुस्तिका' के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री कमल नाथ, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री विज्ञान भवन में आयोजित एक अन्तःक्रियात्मक बैठक में दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

4. कार्मिक विभाग

4.1 मानव संसाधन विभाग द्वारा विद्यमान जॉब–प्रोफाइल्स को नियंत्रित करने, कर्मचारी विकास, शिकायतों का समाधान करने, अनुशासन बनाए रखने और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच पारस्परिक सम्बन्ध सुनिश्चित करने पर खास जोर दिया जाता है। कार्मिक विभाग प्राधिकरण के कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के सर्विस मामलों को देखता है। वर्ष 2011–2012 के दौरान निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां रहीं।

4.2 दूरदर्शिता, मिशन, लक्ष्य एवं कार्य

मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके आम जनता की सेवा करने में अनुकूलतम उत्पादकता हांसिल करना, अपने कर्मचारियों में पेशेवर–दक्षता पैदा करना, पहचान करने के लिए जाँच एवं प्रति–जाँच करना, निगरानी करना, नेतृत्व गुणों और विशेषताओं को पुरस्कृत कराना और कार्य–संस्कृति को प्रोत्साहित करना कार्मिक विभाग के कार्य हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:–

1. मानव संसाधनों की उपलब्धता करना अर्थात् उपयुक्त समय पर समुचित भर्ती और पदोन्नति करना, अनुशासनात्मक मामलों का समय पर और समुचित समाधान करना तथा सर्विस के सभी मामलों में आरक्षित और अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
2. मानव संसाधनों का विकास करना अर्थात् प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण करना।
3. कैडर प्लानिंग अर्थात् संगठन की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न कैडरों में पदों की समीक्षा करना।
4. कर्मचारियों की पदोन्नति एवं प्रगति करना।
5. स्टाफ की शिकायतों को दूर करके उनका कल्याण करना, सेवा निवृत्ति–देयताओं का समय पर भुगतान करना और कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती करना।

कर्मचारियों की संख्या, की गई पदोन्नतियाँ, एसीपी/एमएसीपी और अन्य आँकड़े नीचे दिए गए हैं:–

श्री जी.एस.पटनायक, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. नई चिकित्सा योजना आरंभ करने के अवसर पर दि.वि.प्रा. कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

4.3 कर्मचारियों की स्थिति 31.03.2012 को

समूह	क	ख	ग	घ	वर्कचार्ज (नियमित)	कुल
	454	1331	3904	2464	8505	16658

4.4 की गई पदोन्नतियाँ

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	81	66	294	–	441

4.5 की गई भर्तियाँ

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	11	–	12	–	23

4.6 एसीपी स्कीम/संशोधित एसीपी

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	02	06	108	–	116

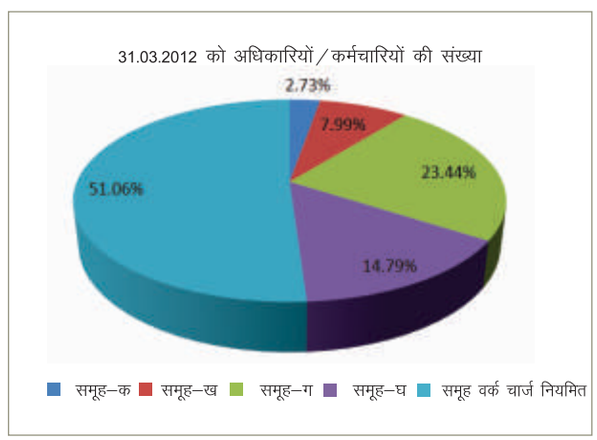

चित्र–1

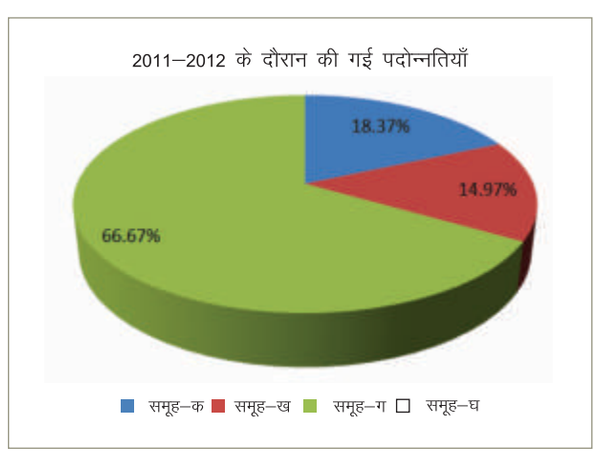

चित्र–2

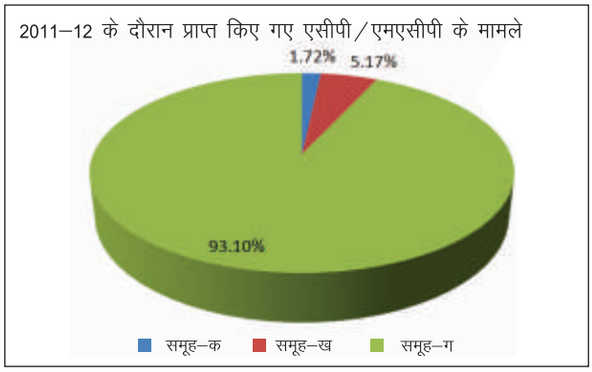

चित्र–3

4.7 सेवा निवृत्ति /मृत्यु के निपटाए गए मामले

1. सेवा–निवृत्ति	664
2. मृत्यु	260
3. पी.ए.आई.पी.	07
4. जी आई एस	104
5. हितकारी निधि	01

स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी में संगीतमय फव्वारे का एक दृश्य

5. सतर्कता विभाग

5.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के कार्यान्वयन और सेवा में सत्यनिष्ठा की निगरानी का कार्य करता है।

5.2 दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता आयुक्त के परामर्श से शिकायतों की प्राप्ति और कार्यवाही, गहन जांच और चार्जशीट तैयार करता है। सतर्कता विभाग जाँच रिपोर्ट का विश्लेषण भी करता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग द्वारा अपील्स, पुनर्विचार याचिका, निलम्बन और उसकी समीक्षा और निलम्बन अवधि के नियमन का कार्य भी निपटाया जाता है।

i) शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामले

जारी किए गए आरोप पत्रों की संख्या	भारी दण्ड	मामूली दण्ड
78	61	17

ii) निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

निपटाए गए मामलों की संख्या	लगाया गया दण्ड	दोष मुक्त किया गया
114	99	15

iii) सामान्य शिकायतों की प्राप्ति एवं जांच

पहले की सामान्य शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाई गयी	शेष
2136	1113	826	2413

iv) दर्ज की गई आरंभिक पूछ–ताछ और जांच

पहले की आरंभिक पूछ–ताछ	वर्ष के दौरान दर्ज	निपटाई गयी	शेष
446	39	83	402

5.3 1.4.2011 से 31.3.2012 के दौरान अपील्स, पुनर्विचार और निलम्बन मामलों के नियमन पर कार्रवाई करने के निरन्तर प्रयास किए गए। 10 मामलों में निलम्बन की अवधि को नियमित किया गया।

5.4 1 मामले में 2 कर्मचारियो के विरूद्ध 01.4.2011 से 31.3.2012 तक की अवधि में आपराधिक कार्यवाही करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति दी गई।

5.5 1.4.11 से 31.3.12 तक की अवधि के दौरान 11 कर्मचारियों को निलम्बनाधीन रखा गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.04 के अनुदेशों के अनुसार पुनरावलोकन समिति ने समूह क, ख, ग और घ श्रेणी के 33 निलम्बन मामलों पर पुनर्विचार किया। पुनर्विचार के परिणाम स्वरूप 13 कर्मचारियों को बहाल किया गया और शेष की निलम्बन अवधि को बढ़ा दिया गया।

5.6 01.4.11 से 31.3.12 की अवधि के दौरान सी.बी.आई और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली पुलिस ने आई.पी.सी/क्रिमिनल पी.सी के अंतर्गत 33 कर्मचारियों के विरूद्ध मामले दर्ज किए। सी.बी.आई/ए.सी.बी के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा गया। दलालों के उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए दि.वि.प्रा. के अनुरोध पर एसीबी द्वारा निरीक्षण भी किए गए।

5.7 सतर्कता स्टाफ द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। अवधि के दौरान 39 निरीक्षण किए गए ।

5.8 अधिक पारदर्शिता लाने के लिए निविदा दस्तावेज, निविदा–आमंत्रण नोटिस, फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन से संबंधित अपेक्षित सूचनाएं दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर दी गई हैं।

5.9 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जो 31.10.11 से 05.11.2011 तक मनाया गया था, निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए:–

क) जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए।

ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह को प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 31.10.11 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।

ग) 10 कर्मचारियों को दि.वि.प्रा. में समर्पित सेवाओं के लिए मोमेंटो और प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया।

घ) दो विभागों अर्थात् अभियंता सदस्य कार्यालय और खेल विभाग को पुरस्कृत किया गया और इन विभागों के विभागाध्यक्षों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए ट्रॉफियाँ प्रदान की गईं। उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा स्मृति चिह्न (मोमेंटोज) और ट्रॉफियां प्रदान की गईं।

5.10 सतर्कता विभाग द्वारा नियमित सतर्कता कार्य के अतिरिक्त भूमि रिकार्ड को अद्यतन भी किया गया। सतर्कता विभाग के निरन्तर आग्रह पर प्राधिकरण की भूमि–सूची का कार्य भी पूरा किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सराहनीय कार्य के लिए निदेशक (कार्य) अभियंता सदस्य कार्यालय की ओर से उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. से स्मृति चिह्न लेते हुए।

पिछले 50 वर्षों के सतर्कता रिकार्ड की समीक्षा की गई। लगभग 20,736 फाइलों की समीक्षा की गई, जिसमें से 10945 फाइलों की छँटाई की गई और नष्ट कर दी गई। शेष फाइलों को रख लिया गया है और उचित बस्तों में बाँध कर सतर्कता विभाग के 7वीं मंज़िल के दो अलग रिकार्ड रूम में रख दिया गया है।

5.11 13 फरवरी 2012 को टेन्डरों की पूलिंग का पता चला था जिसको रोकने के लिए ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया को परिशोधित किया गया।

5.12 लागत डिक्रियों के कारण दि.वि.प्रा. के सुओमोटो अटैचमैंट के प्रत्युत्तर के लिए एस.ओ.पी. के संबंध में कदम उठाए गए।

श्री जी.एस. पटनायक, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" के अवसर पर दि.वि.प्रा. के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए।

6. विधि विभाग

6.1 मुख्य विधि सलाहकार, विधि विभाग के प्रमुख हैं। विभाग का प्रमुख कार्य, समय–समय पर भेजे गए प्रशासनिक मामलों पर विचार करते समय नीति, नियमों, विनियमों और अधिनियमों पर सलाह देना है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग को सहायता देने के लिए यह विभाग विभिन्न शाखाओं में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के विरूद्ध और उसके द्वारा दायर न्यायालय मामलों की संवीक्षा करता है। प्रशासनिक विभाग द्वारा उचित निर्णय लेने के लिए आदेश के कार्यान्वयन, निर्णय पर अपील दर्ज़ करने से संबंधित मामलों की व्यापक जांच की जाती है।

2011–12 के दौरान लम्बित न्यायालय मामलों के विरण निम्नलिखित हैं:–

दिनांक 01.04.2011 तक लम्बित कुल मामले	:	15089
दिनांक 01.04.2011 से 31.3.2012 तक शामिल किए गए नए मामले	:	3524
दिनांक 01.04.2011 से 31.3.2012 के दौरान निर्णीत मामले	:	3639
दिनांक 31.3.2012 तक लम्बित कुल मामले	:	14974

दि.वि.प्रा. पुष्प प्रदर्शनी में फूलों का एक दृश्य

कुतुब परिसर के आस – पास विकसित हरित क्षेत्र

7. प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग

7.1 प्रणाली विभाग

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रणाली का विकास एवं कार्यान्वयन किया गया।

7.1.1. जी.आई.एस. लैबः– माननीय राज्यपाल के नेतृत्व में भूमि प्रबंध विभाग में एक जी.आई.एस. लैब की स्थापना की गई है जिसका संबंध डी.एस.एस.डी.आई. से है। लैब को अद्यतन प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सुसज्जित किया गया है और लैब में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों में डीएसएसडीआई एप्लीकेशन संचालित है।

7.1.2. ईएसएलएः– दि.वि.प्रा. फ्लैटों और समूह आवास सोसायटी के लिए फ्री होल्ड के आवेदन पत्रों की स्थिति जानने के लिए एन.आई.सी. के साथ कनेक्टिविटी कर दी गई है और एनआईसी सर्वर पर ईएसएलए एप्लीकेशन के माध्यम से परिवर्तन से संबंधित आवेदन पत्रों की अद्यतन स्थिति अप–लोड की गई है। यह ई–गवर्नेंस की दिशा की ओर एक कदम है।

7.1.3. वार्षिक लेखा सॉफ्टवेयरः–दि.वि.प्रा. के वार्षिक लेखों के संकलन के लिए अपने यहाँही एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसका प्रयोग लेखा विभाग में किया जाता है।

7.1.4. निवेश मापदंड (मॉड्यूल):– निवेशों की निगरानी करने के लिए वित्त शाखा द्वारा अपने यहाँ ही निवेश मापदंड (मॉड्यूल) विकसित किया गया है। यह परीक्षण के स्तर पर है।

7.1.5. वेतन नामावलीः– यह सॉफ्टवेयर 16 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालयों में लगाया गया है एवं इस प्रणाली से लगभग 17000 कर्मचारियों का वेतन बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की एमआईएस रिपोर्टें इसी प्रणाली से बनाई जाती हैं।

7.1.6. बजट :– 2012–13 के लिए दि.वि.प्रा. के बजट का संकलन किया गया है। 01 जनवरी, 2012 से मार्च, 2012 तक के कार्यो का पूर्वानुमान लगाया है।

7.1.7. विधि मामलों की निगरानी प्रणालीः–विधि विभाग में सॉफ्टवेयर लगाया गया है।इस सॉफ्टवेयर में दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में दायर दि.वि.प्रा. के विधि मामलों की निगरानी की व्यवस्था है। इस सॉफ्टवेयर में अधिवक्ताओं को भुगतान करने की सुविधा है।

विधि सॉफ्टवेयर को दोबारा तैयार (रीरिटन) किया जाएगा और सॉफ्टवेयर को वेब सक्षम बनाया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय भी प्राप्त कर सकेंगे।

7.1.8. फाइल ट्रैकिंगः– दि.वि.प्रा. के सतर्कता विभाग में फाइल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर स्थापित एवं संचालित कर दिया गया है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस सॉफ्टवेयर का विस्तार दूसरे विभागों में भी किया जा रहा है।

7.1.9. सूचना प्रौद्योगिकी आधारिक संरचनाः–दि.वि.प्रा. के विभिन्न कार्यालयों में 1400 से ज्यादा डैस्कटॉप है एवं इस वर्ष उपकरणों सहित 358 डैस्कटॉप और 8 सर्वर शामिल किए गए हैं।

7.1.10 सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का निपटान एवं छँटाईः–

– सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के निपटान एवं छँटाई के लिए एक नीति तैयार की गई।

– इस नीति के अंतर्गत, अगस्त 2011 में, 134 डैस्कटॉप सहित 480 सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की छँटाई की गयी।

7.1.11 एफएमएस एवं रखरखाव वेन्डर्स का प्रबन्धः–

इस वर्ष दो वेन्डर्स का प्रबन्ध किया गया है जिनमें से एक दि. वि. प्रा. में चल रहे विभिन्न एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों के लिए सुविधा प्रबन्ध सेवाओं हेतु है एवं दूसरा हार्डवेयर नेटवर्किंग के रखरखाव के लिए है।

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि. वि. प्रा. के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक ज्ञान और दक्षता को और अधिक निपुणता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान भी करता है। यह विभाग दिल्ली और देश के अन्य भागों में अन्य व्यावसायिक संस्थाओं जैसे कि यूटीसीएस एवं आईएसटीएम द्वारा आयोजित अनेक बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने की कार्यवाही भी करता है।

7.2.2 चालू वर्ष 2011–12 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने दि. वि. प्रा. के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कोर्सों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए और अन्य व्यावसायिक संस्थानों/एजेन्सियों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कोर्सों में भाग लेने के लिए नामित किया। वर्ष 2011–12 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों और भाग लेने वालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	विवरण	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	प्रशिक्षण संस्थान, दि. वि. प्रा. द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	42	1520
2.	बाहरी एजेन्सियों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली से बाहर)	22	253

7.2.3. कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम सहित विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहायक, आशुलिपिक, उ. श्रे. लि., अनुभाग अधिकारी (उद्यान) और कनिष्ठ अभियन्ता श्रेणियों के लिए अगले ग्रेड में उनकी पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स तैयार करने पर विशेष ज़ोर दिया गया।

7.2.4. प्रशिक्षण संस्थान ने समय–समय पर उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों, सहायक निदेशक (लिपिक वर्गीय) के पद हेतु विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और आशुलिपिकों के लिए प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों के सन्चालन में कार्मिक विभाग की सहायता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

7.2.5. वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:–

- बायोमेट्रिक टाइम अटेन्डेन्स सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु एक विशेष कोर्स का आयोजन किया गया।
- ग्रुप 'डी' के नॉन मेट्रिक एवं निरक्षर कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में 121 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- सतर्कता शाखा के लिए कम्प्यूटर पर एक विशेष कोर्स का आयोजन किया गया।
- 'आर्ट ऑफ़ लिविंग', व्यक्ति विकास केन्द्र एवं ब्रह्म कुमारी पर एक विशेष कोर्स का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कोर्स में समय–समय पर 77 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।
- दि. वि. प्रा. के सतर्कता विभाग, रोहिणी ज़ोन एवं दक्षिणी ज़ोन के इन्जीनियरिंग स्टाफ़ के लिए विभिन्न विषयों जैसे "कार्यस्थल पर मानव व्यवहार", "दि. वि. प्रा. आचरण अनुशासनात्मक अपील विनियम 1999", "डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट एंड टेस्टिंग मेटीरियल", "बहुमन्ज़िला इमारतों में भूकम्प से सम्बन्धित प्रावधान", सतर्कता मैन्युअल, "स्व–प्रबन्धन एवं दबाव प्रबन्धन आदि पर विशेष अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में 754 अधिकारियों ने भाग लिया।"

7.2.6. उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा. द्वारा डी–6, वसन्त कुन्ज, दिल्ली में दि. वि. प्रा. के न्यू एचआरडी संस्थान का उद्घाटन किया गया और वहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

श्री. जी. एस. पटनायक, उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा. वसन्त कुंज में ''मानव संसाधन विकास संस्थान'' का उद्घाटन करते हुए

8. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप

8.1 इंजीनियरिंग विंग के कार्यकलापों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

(क) आवासीय भवनों का निर्माण।

(ख) व्यावसायिक केन्द्रों का विकास और निर्माण।

(ग) आवासीय, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि का विकास।

(घ) विशेष परियोजनाएँ/खेलकूद परिसर।

(ङ) हरित क्षेत्रों जैसे मुख्य योजना हरित क्षेत्र, जिला पार्कों, समीपवर्ती पार्कों, मनोरंजनात्मक केंद्रों, खेल के मैदानों और बच्चों के लिए पार्कों इत्यादि का विकास एवं रख–रखाव।

2011–2012 के दौरान दि०वि०प्रा० की उपलब्धियां।

8.2 आवासीय भवनों का निर्माण

8.2.1 दि. वि. प्रा. द्वारा 01.04.2011 द्वारा को प्रगतिधीन मकानों, वर्ष 2011–12 के दौरान शुरू किए गए नए मकानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	विवरण	एच. आई. जी.	एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	ईडब्ल्यूएस/जनता	कुल
1.	01.04.11 को प्रगतिधीन मकान	3877	1035	3641	27632	36185
2.	2011–12 के दौरान पूरे किए गए मकान	1733	16	3502	3050	8301
3.	31.03.2012 को प्रगतिधीन आवास	2144	1019	139	24582	27884

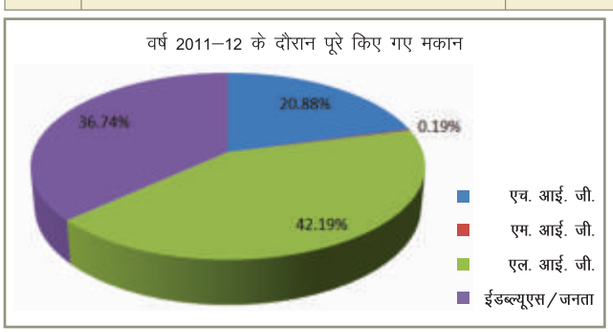

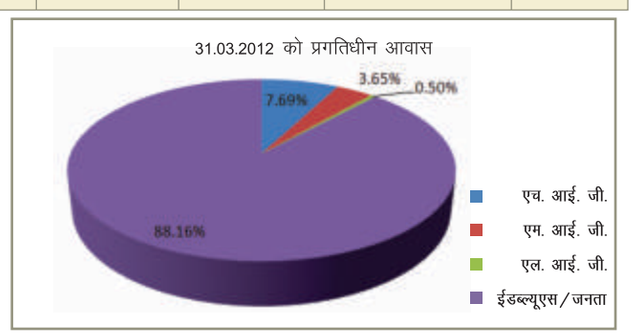

8.2.2 16600 आवास आंवटन के लिए रखे गए हैं।

8.3 व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

8.3.1 दिनांक 01.04.2011 तक प्रगतिधीन शॉपिंग/व्यावसायिक परिसरों एवं वर्ष 2011–12 के दौरान शुरू किए गए नए एवं पूर्ण किए गए परिसरों की स्थिति निम्नानुसार दी गई हैं।

क्र.सं.	विवरण	डी. सी.	सी. सी.	एल. एस. सी.	सी. एस. सी.	कुल
1.	1.4.2011 को प्रगतिधीन व्यावसायिक केन्द्र	6	20	45	142	213
2.	अप्रैल, 2011–मार्च 2012 तक शुरू किए गए नए व्यावसायिक परिसर	1	3	शून्य	शून्य	4
3.	वर्ष 2010–2011 के दौरान पूरे किए गए व्यावसायिक केन्द्र	शून्य	4	शून्य	1	5
4.	वर्ष 2011–2012 के दौरान पूरे किए गए व्यावसायिक परिसर	2	2	शून्य	4	8

टिप्पणी: डीसी – जिला केन्द्र, सीसी–समाज सदन, एलएससी – स्थानीय बाज़ार, सीएससी सुविधा बाज़ार केन्द्र

8.3.2 सामुदायिक हॉल का विकास

1. 01.04.2011 को प्रगतिधीन सामुदायिक हॉल 8
2. वर्ष 2011–12 के दौरान शुरू किए गए नए सामुदायिक हॉल 11
3. वर्ष 2011–12 के दौरान पूरे किए गए सामुदायिक हॉल 2
4. 01.04.2012 को प्रगतिधीन सामुदायिक हॉल **7**

8.4 भूमि योजनाओं का मुख्य विकास

दिल्ली विकास प्राधिकरण लगातार अपनी विकास गतिविधियाँ कर रहा है और नए उपनगरों का विकास करके तथा शहरी विस्तारों जैसे द्वारका, नरेला, धीरपुर, रोहिणी के लिए सड़कों, सीवरेज, जल निकासी, जलापूर्ति, पावर लाइनों और मनोरन्जनात्मक सुविधाओं इत्यादि जैसी वास्तविक आधारिक सुविधाओं का निर्माण करके मुख्य योजना के अनुसार नगर सीमाओं का विस्तार कर रहा है।

सैक्टर 23 बी द्वारका में ईडब्ल्यूएस आवास

8.4.1 मुख्य विकास योजनाओं की प्रगति नीचे तालिका के रूप में दी गई है:–

वर्ष 2011–12 के दौरान दी गई सेवाएँ

योजना का नाम	योजना का क्षेत्रफ़ल (हेक्ट. में)	सड़कें कि. मी. में	सीवरेज कि. मी. में	जलापूर्ति कि. मी. में	बरसाती नाले कि. मीं
द्वारका फ़ेज़–I	1862	101.35	59.30	79.93	160.10
द्वारका फ़ेज़–II	2098	79.40	57.76	59.82	111.89
नरेला	7282 / 750	91.51	53.00	30.30	78.00
रोहिणी फ़ेज़–IV एवं V	4000 / 788 + 100 हेक्टेयर हाल ही में अधिग्रहित	34.19	16.06	54.05	36.89

8.5. विशेष मुख्य परियोजनाएँ / खेल परिसर

दि०वि०प्रा० अपने विकास कार्यक्रमों के भाग के रुप में और नगर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई विशेष परियोजनाएं शुरु करता रहा है। दि०वि०प्रा० ने 2011–2012 के दौरान निम्नलिखित विशेष / मुख्य परियोजनाएं पूरी / शुरु की हैं।

8.5.1. वर्ष 2011–12 के दौरान पूरी की गई विशेष मुख्य परियोजनाए

(i) आईएफ़सी ग़ाज़ीपुर, पॉकेट–7
(ii) जसोला में यूजीआर एवं वॉटर गैलरी
(iii) संजय झील का विकास
(iv) नरेला उपनगर में मुख्य योजना सड़कों का निर्माण। उपशीर्षः नरेला उपनगर में सैक्टर जी–7 एवं जी–8 में 40 मीटर मार्गाधिकार का निर्माण।
(v) नेरला मे सेक्टर जी–7 एव जी–8 में 60 मीटर मार्गाधिकार का निर्माण।

8.5.2 चल रहीं विशेष मुख्य परियोजनाएँ

i) नरेला में एकीकृत भाड़ा परिसर।
ii) यमुना नदी तट का विकास (गोल्डन जुबली पार्क)
iii) सतपुला झील परिसर का विकास।
iv) स्थानीय बाजार एवं मदनगीर गांव के मध्य भूमि का विकास।
v) तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर का विकास।
vi) नेहरू प्लेस, जिला केन्द्र के निकट आस्था कुंज का विकास।
vii) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस का उन्नयन।
viii) झरोदा माजरा एवं वजीराबाद में यमुना जैव वैविध्य पार्क का विकास।
ix) वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव वैविध्य पार्क का विकास।
x) वसन्त कुन्ज फेज.II में सुल्तान गढ़ी मकबरा संरक्षण परिसर का विकास।
xi) सीबीडी शाहदरा में 46 हैक्टेयर भूमि का विकास।
xii) महरौली में पुरातात्वीय पार्क का विकास
xiii) सरिता विहार में फ्लाई–ओवर के लिए थ्री क्लोवर लीव्स का निर्माण।
xiv) लाजपत नगर में नाले को ढकना।
xv) डिफेंस कालोनी में नाले को ढकना।
xvi) द्वारका एवं बक्करवाला को जोड़ने वाली एक्सप्रेस रोड का निर्माण।
xvii) रेलवे लाइन एवं दिल्ली कैंट से पालम की ओर सीतापुरी पालम नाले को ढकना।
xviii) पीवीसी मार्केट ज्वालापुरी संस्थानिक क्षेत्र का विकास।
xix) जिला केन्द्र, पश्चिम विहार का विकास। हस्तसाल में डलाव (गड्डा सं.–2) का विकास
xx) पश्चिम विहार जी–17, डी–ब्लॉक में समाज सदन का विकास। पीवीसी मार्केट ज्वालापुरी में सांस्थानिक क्षेत्र का विकास।
xxi) सैक्टर–20, द्वारका फेज–I में भारत वंदना पार्क का विकास। भरतल, बामनौली, पोंछापुर गांव में जल निकायों का विकास
xxii) नरेला उपनगर मे सैक्टर जी–7 एवं जी–8 की भूमि का विकास।
xxiii) सैक्टर–11 में बच्चों के लिए सेंसरी पार्क।
xxiv) शहरी विस्तार सड़कें–यूईआर–I, II एवं III।

xxv) नरेला में एकीकृत भाड़ा परिसर।

xxvi) सैक्टर ए–1 से ए–4, नरेला में परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना।

xxvii) नरेला सैक्टर जी–7 और जी–8 में परिधीय सीवर लाइन प्रदान करना एवं बिछाना।

xxviii) भलस्वा गोल्फ कोर्स एवं भलस्वा झील का विकास।

8.6 नए महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.6.1. शहरी विस्तार सड़कों I व II एवं III और झुग्गी झोंपड़ी समूह का स्वस्थाने विकास।

8.6.2. आरम्भ किए जाने वाले निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आवास।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (स्लम निवासियों) का स्तर सुधारने और उन्हें एक स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर दि.वि.प्रा. द्वारा एक(1) लाख ईडब्ल्यूएस आवास बनाने का निर्णय लिया।

46,360 आवासीय इकाइयों के लिए स्थल निर्धारित कर लिए गए हैं, जिनमें से 18600 आवासीय इकाइयों के लिए निर्माण–कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। शेष आवासों का निर्माण कार्य वर्ष 2011–12 में शुरू किये जाने की संभावना है।

दि.वि.प्रा. द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न जोनों में निम्न आय वर्ग के 24660 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 4855 आवासों का निर्माण किया जाएगा। जिसका विवरण निम्न अनुसार है:

क्रम सं.	जोन	एलआईजी	ईडब्ल्यूएस
1.	रोहिणी	2283	449
2.	नरेला	22377	4406
	कुल	**24660**	**4855**

8.6.3. फ्लाई ओवर

फ्लाई ओवरों के निम्नलिखित सुधार कार्यों की स्थिति का विरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग–2 एवं मार्ग सं. 13 ए सरिता विहार में तीन क्लोवर लीफ, स्लिप रोड, आरयूबी पहुंच मार्ग	55% कार्य पूरा हो गया है।
2.	राष्ट्रमंडल खेल गांव तक प्रवेश एवं निकास मार्ग	कार्य पूरा कर लिया गया है।
3.	लाजपत नगर के निकट रेलवे क्रासिंग पर आरयूबी उपशीर्षः पुल के नीचे प्रस्तावित सड़क तक पहुँच मार्गों का निर्माण	55% कार्य पूरा हो गया है।
4.	घरेलू एयरपोर्ट के साथ–साथ द्वारका को जोडने वाले पहुँच मार्ग तक सर्कुलर रोड का सुधार।	कार्य चल रहा है।

8.6.4. शहरी विस्तार सड़कें

(क) शहरी विस्तार सड़क सं. I (80 मी. मार्गाधिकार) का निर्माण

यह रोड नरेला एवं रोहिणी परियोजनाओं से होकर गुजरेगा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–8 से वजीराबाद बाईपास को जोड़ेगा।

कुल लम्बाई – **57.24 कि.मी. (8.23 कि.मी. रोड का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।)**

नरेला परियोजना – भूमि उपलब्ध है। तकनीकी समिति ने संरेखण अनुमोदित कर दिया है।

रोहिणी परियोजना – भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना है। एम–क्षेत्रीय योजना अनुमोदित की गई, सर्वेक्षण अभी किया जाना है।

द्वारका परियोजना फेज – 1 के लिए 10.60 कि.मी. भूमि की लैंथ उपलब्ध है जिसमें से 6.07 कि.मी. भूमि निर्माणाधीन है और फेज –2 में 38.55 कि.मी. जो राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 को दिल्ली औचन्दी रोड से जोड़ेगी और दूसरा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग – 1 को वजीराबाद बाई पास से जोड़ेगा जिसकी लंबाई 8.09 कि.मी. है। फेज – 2 के लिए भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

(ख) शहरी विस्तार सड़क संख्या – 2 (100मी. मार्गाधिकार) का निर्माण

यह रोड नरेला, रोहिणी और द्वारका परियोजनाओं से होकर गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 को वजीराबाद बाई पास से जोड़ेगा।

कुल लम्बाई – **72.10 कि. मी. (3.50 कि. मी. रोड का निर्माण पहले ही किया जा चुका है)**

नरेला परियोजना – :भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। सड़क विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

रोहिणी परियोजना – बवाना गाँव के निकट 1.4 कि. मी. की पट्टी को छोड़कर 14.0 कि. मी. भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

द्वारका परियोजना – 63.90 कि. मी. की लम्बाई में से 45.69 कि. मी. उपलब्ध है। 8.20 कि. मी. अतिक्रमण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग – 2 से राष्ट्रीय राजमार्ग – 8 तक 18.21 कि. मी. भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

(ग) शहरी विस्तार सड़क सं. – 3 (80 मी. मार्गाधिकार) का निर्माण

यह रोड नरेला, रोहिणी से होकर गुज़रेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग – 10 (रोहतक रोड) एवं वज़ीराबाद बाईपास को जोड़ेगा।

कुल लम्बाई – **20.80 कि. मी. (7.30 कि. मी. सड़क का निर्माण पहले ही किया जा चुका है)**

नरेला परियोजना – भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना है।

रोहिणी परियोजना – तकनीकी समिति से सड़क का संरेखण अनुमोदित है। सड़क को चौड़ा करने और सुधार करने का कार्य शुरू किया जाना है।

द्वारका परियोजना – 9.40 कि. मी. लम्बाई (दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन) उपलब्ध है। इसमें से 3.50 कि. मी. की भूमि अतिक्रमण में है और डब्ल्यूवाईसी से राष्ट्रीय राजमार्ग – 1 तक 5.10 कि. मी. और दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन से राष्ट्रीय राजमार्ग – 10 तक 1 कि. मी. की भूमि अधिग्रहण हेतु प्रक्रियाधीन है।

8.6.5 शोधित सीवेज जल का उपयोग

"उद्यान कार्यों के लिए शोधित सीवेज जल के उपयोग" को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। शोधित सीवेज के उपयोग द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ट्यूबवेलों को सम्भवतः बंद कर दिया जाएगा। दि. वि. प्रा. ने शोधित सीवेज जल इस्तेमाल के लिए पहले ही योजनाएँ बना ली हैं।

8.6.6 बरसाती–जल का संग्रहण

बरसाती जल संग्रहण गिरते जल स्तर के भरण को भविष्य में सुनिश्चित करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। बरसाती जल संग्रहण योजनाएँ विभिन्न परियोजनाओं में क्रियान्वित की जा रही हैं, जो पूर्ण हो चुकी हैं/चल रही हैं/योजना स्तर पर हैं।

8.6.7 जे. जे. क्लस्टरों का स्व–स्थाने विकास

दि. वि. प्रा. 291 जे. जे. क्लस्टरों का स्व–स्थाने विकास करेगा। भूमि प्रबंधन विंग द्वारा योग्य झुग्गियों की पहचान के लिए 12 स्थलों पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। पटेल नगर के समीप कठपुतली कॉलोनी पर स्व–स्थाने विकास कार्य दिया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। अशोक विहार स्थित जेलर वाला बाग में 1262 झुग्गियाँ हैं। इन स्लम निवासियों का जेलरवाला में ही पुनर्वास किया जाना है। सराय पीपल थला और कालका जी में स्वःस्थाने आवासन परियोजना अपने आरंभिक चरण में है।

8.7 अनुमान

वर्ष 2011–12 के दौरान सक्षम प्राधिकारी ने 3609.29 रुपए की राशि के प्रारंभिक अनुमान को अनुमोदित किया था जिसमें से 2578.71 करोड़ रुपए बीजीडीए और 84.08 करोड़ रुपए नजूल लेखा–II को अनुमोदित किए गए।

प्रसाद नगर में झील

9. योजना और वास्तुकला

9.1 योजना विभाग

9.1.1 मुख्य योजना अनुभाग

(क) नीति निर्माण

दि. मु. यो.–2021 विभिन्न योजना मामलों पर विस्तृत नीतियाँ बनाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नीतियाँ अधिसूचित की गई हैं:–

(i) विद्यमान पेट्रोल पम्प स्थलों में व्यावसायिक क्षेत्र का प्रावधान।

(ii) असंगत/अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक समूहों का पुनर्विकास

(ख) विभिन्न स्तरों पर अनुमोदनार्थ नीतियाँ

(i) दिल्ली में अस्थाई सिनेमाघरों का बना रहना।

(ii) एमआरटीएस एवं बड़े परिवहन कॉरिडोर, कम उपयोगी/कम सघनता के क्षेत्रों, विशेष क्षेत्र, पुनर्वास कॉलोनियों, गाँवों, अनधिकृत कॉलोनियों एवं जे. जे. क्लस्टरों सहित प्रभावी क्षेत्रों के पुनर्विकास हेतु विनियम/दिशा–निर्देश।

(iii) दिल्ली में भूमि संग्रहण एवं विकास में सार्वजनिक–निजी भागीदारी।

(iv) दिल्ली में फ़ॉर्म हाउसों पर नीति।

(v) असंगत क्षेत्रों में विद्यमान गोदाम समूहों (गोडाउन क्लस्टर्स) के पुनर्विकास हेतु दिशा–निर्देश।

(vi) बैंक्वेट हॉल्स रेग्युलेशन्स 2010 को अनुमति।

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम – 1957 की धारा 11–क के अन्तर्गत भूमि उपयोग में परिवर्तन के 8 मामलों पर की गई कार्रवाई और संशोधन

(i) मुख्य योजना संशोधन के एक भाग के रूप में दिल्ली विकास अधिनियम की धारा, 11–क के अनुसार जनता से आपत्तियों एवं सुझावों को आमंन्त्रित करने के लिए 7 सार्वजनिक सूचनाएँ जारी की गईं।

(ii) तकनीकी समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं।

(घ) पूर्व विद्यमान संस्थानों (भू–स्वामी) एवं सांस्कृतिक, धार्मिक, (आध्यात्मिक सहित) स्वास्थ्य देखभाल तथा शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करने वाली पूर्व विद्यमान संस्थाओं का नियमितीकरण/पूर्व विद्यमान होने की तिथि 01.01.2006

दिनांक 01.01.2006 से पूर्व विद्यमान भू–स्वामित्व वाले संस्थानों एवं सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित), स्वास्थ्य देखभाल एवं शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करने वाले संस्थानों के नियमितीकरण के लिए मौजूदा संस्थानों पर विचार करने के लिए दिनांक 01.05.2008 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई। दिनांक 01.05.2008 की सार्वजनिक सूचना के जवाब में विभिन्न संस्थानों के 774 मामले प्राप्त हुए। ये मामले प्रक्रिया के अन्तिम चरण में है।

9.1.2 मुख्य योजना समीक्षा

(क) दि. मु. यो. – 2021 में आवधिक समीक्षा एवं निगरानी (2011, 2011–16, 2016–21 तक 3 चरणों में) की व्यवस्था है। इसके अनुपालन में दि. मु. यो. की मध्यावधि समीक्षा का कार्य शुरू किया गया और राज्यपाल दिल्ली की अध्यक्षता में विभिन्न संस्थानों/विभागों के विशेषज्ञों के साथ एक सलाहकार समूह का गठन किया गया दि. मु. यो. 2021 की समीक्षा के लिए सलाहकार समूह की 6 बैठकें हुईं।

(ख) जैसा दि. मु. यो. – 2021 में प्रस्तावित है, दि. वि. प्रा. एवं रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 11 प्रबंधन कार्रवाई समूह (एमएजी) बनाए गए हैं। दि. मु. या–2021 की समीक्षा के लिए प्राप्त विभिन्न सुझावों पर विचार–विमर्श हेतु एमएजी की 15वीं बैठक हो चुकी है।

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अन्तर्गत आगे प्रक्रिया के लिए दिनांक 12/03/2012 की अपनी बैठक में सलाहकार समूह द्वारा अनुशंसित 18 संशोधनों को प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया।

(घ) दि. मु. यो.–2021 की समीक्षा हेतु जनता से सुझाव आमन्त्रित करने के लिए अक्तूबर 2011 एवं फ़रवरी 2012 में सार्वजनिक सूचनाएँ जारी की गई थी। 31 मार्च, 2012 तक लगभग 1950 सुझाव प्राप्त हुए और 1500 सुझावों को दि. वि. प्रा. की वेबसाइट पर स्कैन एवं अपलोड किया गया।

(ङ) दि. मु. यो. 2021 के प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्रवाई की पहचान की गई और अन्य स्थानीय निकायों/एजेन्सियों जैसे – दि. न. नि., न. दि. न. प., रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इत्यादि से दि. मु. यो. 2021 के कार्यान्वयन पर आगे कार्रवाई एवं अद्यतन स्थिति के लिए अनुरोध किया गया।

(च) दि. मु. यो. 2021 की समीक्षा के लिए सुझाव आमन्त्रित करने हेतु विभिन्न भागों में 6 खुले मंचों (ओपन हाउसेज़) का आयोजन करने के लिए कार्रवाई की गई।

9.1.3 शहरी विस्तार परियोजनाएँ

9.1.3.1 नरेला परियोजना

(क) नरेला उप–नगर परियोजना (ज़ोन पी–I) एवं ज़ोन पी–II की क्षेत्रीय योजना तैयार की जा चुकी है और केन्द्र सरकार ने उसे अनुमोदित कर दिया है। दि. वि. प्रा. की विभिन्न आवासन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए योजना संबंधी जानकारी दी जा चुकी है।

(ख) ज़ोन पी–I में शहरी विस्तार सड़कों के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित कार्रवाई।

(ग) नीति के अनुसार ज़ोन पी–I एवं पी–II में नियमितीकरण की प्रक्रिया में अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई।

(घ) ज़ोन पी–I, पी–II, में सुविधाओं के लिए ले–आउट प्लान।

9.1.3.2 द्वारका परियोजना

(क) जोन के–I, के–II एवं एल की क्षेत्रीय विकास योजनाएँ

(i) योजना जोन के–I, के–II एवं जोन एल की क्षेत्रीय विकास योजनाओं के भूमि उपयोगों में संशोधनों की कार्यवाही की गई और उन्हें अन्तिम अधिसूचना हेतु प्रस्तुत किया गया।

(ii) ज़ोन के–I, के–II एवं एल के सम्बन्ध में रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस आदि से प्राप्त हुए सन्दर्भों की जाँच की गई और उन पर कार्रवाई की गई।

(ख) प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव

(i) पृथक पॉकेट 11 एवं 12, द्वारका ज़ोन के–II के भूमि उपयोग में संशोधन।

(ii) प्रस्तावित डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, सेक्टर–24 द्वारका के लिए उपयोग ज़ोन में संशोधन।

(iii) सेक्टर–17, द्वारका में अस्पताल स्थल के उपयोग हेतु उप–विभाजन एवं संशोधन।

(iv) सेक्टर–24, द्वारका में भूमि उपयोगों का पुनर्समायोजन।

(v) बापरौला में डीएसएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक पार्क के विकास से सम्बन्धित ज़ोन के–I की क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन।

(vi) सेक्टर–14, द्वारका में धार्मिक उपयोग (इस्कॉन मन्दिर) के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल प्लॉट के उपयोग में संशोधन हेतु प्रस्ताव।

(vii) झटिकरा सब–स्टेशन में मुण्डका (डीटीएल) बामनोली (डीटीएल) ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सर्किटों की लूप–इन–लूप आउट (लीलो) के निर्माण हेतु मार्ग की अनुमति।

ग) निम्नलिखित योजनाएँ तैयार की गईः

(i) लोकनायक पुरम (बक्करवाला) योजना में पॉकेटों के उपयोग का पुनर्समायोजन/विनिमय (स्वैपिंग)।

(ii) गाँव ककरोला, सेक्टर–16ए, द्वारका के पास सुविधाओं हेतु पीएसपी उपयोग प्लॉट का इस्तेमाल करना।

(iii) आवासन क्षेत्र सुविधा, पॉकेट–डी, सेक्टर–16बी, द्वारका का ले–आउट प्लान।

(iv) सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, सेक्टर–13, द्वारका के ले–आउट प्लान की समीक्षा।

(v) सेक्टर–14, द्वारका के ले–आउट प्लान में संशोधन।

सीरी फ़ोर्ट खेल परिसर में इण्डोर स्टेडियम

(vi) सुविधा पॉकेट–I (एचएएफ) एवं सुविधा पॉकेट–2 (सी. सै. स्कूल एवं सुविधा), सेक्टर–26, द्वारका फ़ेज़–II के लिए ले–आउट प्लान।

(घ) प्रमुख परियोजना/योजना मामलेः

(i) सेक्टर 25 एवं 26, द्वारका में प्रस्तावित विश्व स्तर प्रदर्शनी सह समागम केन्द्र।

(ii) सेक्टर–24, द्वारका मे प्रस्तावित डिप्लोमैटिक एन्क्लेव।

(iii) सेक्टर–24, द्वारका मे प्रस्तावित गोल्फ कोर्स।

9.1.3.3 रोहिणी परियोजना

(क) ज़ोन 'एम' एवं 'एन' से जुड़े भूमि उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की संवीक्षा दिल्ली विकास अधिनियम के अनुसार आगे कार्रवाई हेतु की जा चुकी है।

(ख) निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया गया है और प्राधिकरण ने उसे अनुमोदित कर दिया है। गाँव मुबारकपुर सेक्टर–40, रोहिणी में 4826.96 वर्ग मीटर स्थल माप के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग का "आवासीय" से सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ (कब्रिस्तान/शमशान भूमि) में परिवर्तन दिल्ली विकास अधिनियम के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(ग) पश्चिमी यमुना नहर के समीप सेक्टर–28 एवं 29 रोहिणी में नरेला परियोजना की 80 मी. चौड़े मार्गाधिकार (यूईआर–III) की डो–टेलिंग के प्रस्ताव पर दि. वि. प्रा. की तकनीकी समिति ने विचार किया एवं उसे अनुमोदित किया।

(घ) निम्नलिखित परियोजनाएँ अनुमोदित की गईः–

(i) सेक्टर–5, रोहिणी (पॉल कॉलोनी) में रैन बसेरे के लिए प्रस्तावित स्थल।

(ii) विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पॉकेट–II, सेक्टर–23, रोहिणी फ़ेज़–III के ले–आउट प्लान में संशोधन।

(iii) बुद्ध विहार, फ़ेज़–II, रिठाला, रोहिणी में खाली ज़मीन के लिए प्रस्तावित उपयोग योजना।

(iv) सेक्टर–30 रोहिणी, फ़ेज़–IV के ले–आउट प्लान में संशोधन।

(v) पॉकेट एनएस/पीएस, ब्लॉक–ई, सेक्टर–XVI, रोहिणी के ले–आउट प्लान में संशोधन।

(vi) सीएस/ओसीएफ–4, सेक्टर–VI, रोहिणी के ले–आउट प्लान में संशोधन।

(vii) सीएस/ओसीएफ–7, सेक्टर–24, रोहिणी के ले–आउट प्लान में संशोधन।

(viii) सेक्टर–27, (एफसी–9) और सेक्टर–28 (एफसी–3, एफसी–4 एवं एफसी–5) रोहिणी फ़ेज़–IV, में सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधा पॉकेट के प्रस्तावित ले–आउट प्लान ।

(ix) आवासीय पॉकेट–3, ब्लॉक–बी, सेक्टर–37, रोहिणी, फ़ेज़–V का ले–आउट प्लान।

(x) ज़ोन–एम और रोहिणी फ़ेज़–III, IV एवं V के विभिन्न सेक्टरों में सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक सुविधा पॉकेटों (एफ़सी) के लिए प्रस्तावित संख्यांकन और 66 केवी विद्युत सब–स्टेशन की प्रस्तावित अवस्थिति के सम्बन्ध में सेक्टर–34 एवं सेक्टर–35 के ले–आउट प्लान में संशोधन।

सेक्टर–11, द्वारका में सामाजिक – सांस्कृतिक केन्द्र

(xi) सेक्टर–29, रोहिणी, फ़ेज़–IV में सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक पॉकेटों (एफसी–13 और एफसी–14) के लिए प्रस्तावित ले–आउट प्लान।

(xii) सेक्टर–30, रोहिणी, फ़ेज़–IV स्थित सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधा पॉकेटों (एफसी–15 और एफसी–16) के लिए प्रस्तावित ले–आउट प्लान।

(ङ) योजना विभाग, दि. वि. प्रा. की ओर से पूरी दिल्ली के लिए शहरी विस्तार सड़कों का समन्वय कार्य।

(च) रोहिणी फ़ेज़–III, IV, V, और बवाना तक मेट्रो के विस्तार के प्रस्ताव को यूटीटीआईपीईसी के साथ संयुक्त रूप से तैयार कर लिया है और डीएमआरसी को भेज दिया है।

9.1.3.4 अनधिकृत कॉलोनी एवं 'जे' ज़ोन

(क) विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार विभिन्न सुविधाएँ शामिल करने के लिए दि. वि. प्रा. के कब्ज़े के अन्तर्गत लगभग 100 एकड़ के खाली पड़े भूमि पॉकेटों की पहचान और अधिकतम उपयोग।

(ख) दि. वि. प्रा. समन्वय इकाई के रूप में दि. वि. प्रा. की अन्य योजना इकाइयों के साथ नीति अनुसार रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में शुरू किए गए अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया।

9.2 एकीकृत यातायात और परिवहन आधारिक संरचना योजना एवं अभियान्त्रिकी केन्द्र (यूटीटीआईपीईसी)

शासी निकाय द्वारा अनुमोदित मुख्य दिशा–निर्देश, शहरी स्तर परियोजना, क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाएँ:–

(क) दिशा–निर्देश

(i) शहरी वातावरण में विकलांगों के लिए मानदण्ड/मानक और सुगम पहुँच के लिए लेखा परीक्षा (ऑडिट)।

(ii) आईआरसी एवं यूटीटीआईपीईसी स्ट्रीट सेक्शन और केईआरबी की तुलनाओं में – सड़क डिज़ाइन दिशा–निर्देश – यूटीटीआईपीईसी।

(iii) फुटओवर ब्रिज (एफओबी) की आवश्यकता मानदण्ड एवं डिज़ाइन के लिए दिशा–निर्देश।

(iv) यात्रा मांग प्रबंध नीति के रूप में पार्किंग नीति का फ्रेमवर्क।

(v) एमआरटीएस प्रभाव क्षेत्र में ग़ैर–अनुमेय/इच्छित उपयोग।

(ख) नगर स्तर की परियोजनाएँ

(i) सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क योजना/अन्तिम बीआरटी/आईटीसी नेटवर्क योजना को तैयार करना।

(ii) करावल नगर/शास्त्री पार्क और दिलशाद गार्डन, मोरी गेट, फ़ेज़–II, बीआरटी–आईटीसी प्रस्ताव।

(iii) फ़ेज़–III, बीआरटी–आईटी कॉरीडोर का पहला चरण–14 कॉरिडोर।

(iv) महरौली–महिपालपुर रोड (एमजी रोड से एनएच–8) की संरेखण योजना।

(ग) क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाएँ:

वर्ष 2011–12 के दौरान यूटीटीआईपीईसी द्वारा अनुमोदित लगभग 12 परियोजनाएँ/योजनाएँ/प्रमुख परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:–

(i) चान्दनी चौक और एसपी मुखर्जी मार्ग का पुनर्विकास प्रस्ताव।

(ii) करोल बाग पैदल यात्री (पेडेस्ट्रियन) परियोजना।

(iii) कड़कड़डूमा के पास ट्रांज़िट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट (टीओडी) पायलट परियोजना।

(iv) इन्द्रप्रस्थ परिसर (आईटीओ) योजना – योजना एकीकरण और कार्यान्वयन योजना।

वर्ष के दौरान 6 शासी निकाय बैठकें आयोजित की गईं जिनमें उपर्युक्त दिशा–निर्देश/परियोजनाएँ अनुमोदित की गई।

9.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

- **गतिविधियाँ**

  दि. मु. यो. एवं क्षेत्रीय विकास योजना की तैयारी में जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दि. वि. प्रा. के योजना विभाग में नई जीआईएस इकाई की स्थापना करके योजना से सम्बन्धित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की डीएसएसडीआई परियोजना द्वारा बनाए गए जीआईएस डाटा/नक्शे का प्रयोग करके दि. वि. प्रा. के योजना विभाग की जीआईएस इकाई ने वर्ष 2011 में निम्नलिखित कार्य शुरू किए।

  उपलब्धि

- डीएसएसडीआई परियोजना, रा. रा. क्षे., दिल्ली सरकार के परामर्श से जीआईएस डाटा आधार पर दि. मु. यो. 2021 के भूमि उपयोग योजना की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजनाओं को लागू करने के प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

9.4 भवन अनुभाग

(क) दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान भवन परमिट के मामलों की स्थिति:–

क्र. सं.	इकाई	संस्वीकृति	कब्ज़ा/कार्य समापन प्रमाण पत्र
1.	आवासीय (रोहिणी)	197	..
2.	रोहिणी से अलग	380	199
3.	व्यावसायिक एवं औद्योगिक	162	186
4.	सांस्थानिक एवं ले आउट	37	32
5.	कुल	776	417

वज़ीर पुर डिपो स्थित फ़्लाई ओवर

9.5 वास्तुकला विभाग (एचयूपीडब्ल्यू)

वास्तुकला विभाग संकल्पनात्मक वास्तुकला डिज़ाइन और वास्तुकला संकल्पना की कार्यशील ड्राइंग तैयार करने के लिए परियोजना स्कीम की संरचनात्मक भूमि उपयोग योजना का प्रयोग करता है। इस विभाग के अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार हैं, जो अभियन्ता, सदस्य को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तीन अपर मुख्य वास्तुकार छः वरिष्ठ वास्तुकारों के साथ मिलकर मुख्य वास्तुकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो विरासत, खेलकूद एवं विशेष परियोजनाओ सहित वास्तुकला के क्षेत्र में 6 ज़ोनों के कार्य की निगरानी करते हैं। वास्तुकला विभाग के मुख्य कार्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

1. शहरी डिज़ाइन/वास्तुकलात्मक स्कीमों (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार सभी श्रेणियों के आवास, शृंखलाबद्ध, गैर–शृंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द्र) को विकसित करना और उनके विकास नियन्त्रण मानदण्डों को तैयार करना।
2. विरासत और संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करना और तैयार करना।
3. खेलकूद सम्बन्धित परियोजनाएँ (डिज़ाइनिंग और खेलकूद से सम्बन्धित परियोजनाएँ)।
4. सामाजिक आधारिक–संरचना परियोजनाएँ (सामुदायिक सुविधाएँ, उन्नयन (अपग्रेडेशन) योजनाएँ आदि)।
5. योजना वास्तुकला और भू दृश्यांकन विभाग की सभी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जाँच–समिति की बैठकों का आयोजन एवं समन्वय करना।
6. निम्नलिखित से अनुमोदन प्राप्त करना:
   - शहरी डिज़ाइन/वास्तुकला स्कीमों के लिए दिल्ली नगर कला आयोग से।
   - सभी विरासत/संरक्षण सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए डीयूएचएफ़ से।
   - अन्य प्राधिकरणों जैसे सीएफ़ओ, विमानपत्तन प्राधिकरण, पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आदि से।

9.6 भू–दृश्य एवं पर्यावरण योजना इकाई

दिल्ली 1497 कि. मी. क्षेत्र में फ़ैली देश के सबसे हरे–भरे महानगरों में से एक है। दिल्ली विकास प्राधिकरण भारत में पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, जिसने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले लगभग 3800 छोटे और बड़े पार्कों के साथ क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टी और समीपवर्ती हरियाली इत्यादि के रूप में खुले क्षेत्रों के विकास के प्रति सचेत प्रयासों सहित हरे–भरे स्थानों के एकीकृत विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दि.वि.प्रा. मे हरित क्षेत्रो के उन्नयन एवं रखरखाव के कार्य को जारी रखा और जैव–वैविध्य पार्कों का निर्माण एवं विकास, नदी मुहाना विकास परियोजना, डलाव क्षेत्रों का सुधार, जलाशय, झीलों इत्यादि के पुनरुद्धार का प्रयास किया।

जिला पार्क, हौज़ ख़ास में रोज़ गार्डन

अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 के दौरान भू–दृश्यांकन इकाई द्वारा की गई परियोजना

01. यमुना जैव–वैविध्य पार्क

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना जैव–वैविध्य पार्क और अरावली जैव–वैविध्य पार्क का विकास सेन्टर फ़ॉर एनवायरमेट मेनेजमेंट ऑफ़ डिग्रेडेड इकोसिस्टम के साथ तकनीकी सहयोग से, दिल्ली के जीवन तन्त्र के नष्ट प्राकृतिक विरासत के पुनर्भरण और संरक्षण को लक्ष्य मानकर किया।

फ़ेज़–I

यमुना जैव–वैविध्य पार्क वज़ीराबाद के पास (बाह्य रिंग रोड) पर स्थित है। वर्ष 2002 में पहला चरण (क्षेत्रफ़ल 156 एकड़) आरंभ किया गया।

नदी तट के समीप बाढ़ क्षेत्र के अन्य 300 एकड़ को दूसरे चरण में रखा गया जो वर्ष 2006 में शुरू किया गया।

यह वज़ीराबाद गाँव के पास 45 एकड़ भूमि तक फ़ैला है। यमुना जैव–वैविध्य पार्क यमुना नदी के सपाट जलौढ़ (एल्यूवियल) मैदान पर स्थित है।

पॉली हाउस, नेट हाउस, व्याख्यान केन्द्र भवन, इसका आन्तरिक भाग, मुख्य परख, घुमावदार जलाशय, दूसरी नम भूमि, फूड कोर्ट, बटरफ़्लाई

यमुना जैव–वैविध्य पार्क की नम भूमि पर प्रवासी बत्तखें

पार्क, हर्बल गार्डन, आयुर्वेदिक हट्स, बेम्बूसेतन, एम्फीयियेटर बैम्बू – ब्रिज, शेल्टर, बाँस से निर्मित टॉयलेट ब्लॉक जैसी सहायक सुविधाओं के साथ आगन्तुक क्षेत्र बनाए जा चुके हैं।

अब तीन पोषण स्तर (ट्रॉपिक लेवेल) वाले पौधों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्तनधारियों, पक्षियों एवं कीड़ों के वैविध्य में वृद्धि हुई है एवं इन जंगलों में रहने वाले जंगली सुअर, छोटा भारतीय गंधबिलाव (सिवेट), एवं जंगली बिल्लियों की संख्या में सुधार हुआ है।

फ़ेज़–II

यमुना जैव–वैविध्य पार्क फ़ेज़–II को नम भूमियों, घास के मैदानों, बाढ़ वनों के नेटवर्क के रूप में नियोजित किया गया है।

स्कीम में प्रस्तावित विशेषताएँ इस प्रकार हैं:–विविध प्रकार के छोटे–छोटे तराई वाले क्षेत्र के नेटवर्क सहित एक बड़ा तराई क्षेत्र विकसित किया जाएगा जिसमें घास के मैदान, अनेक बाढ़ क्षेत्र एवं वन क्षेत्र शामिल होंगे और जो विभिन्न ज़ोनों में स्थापित किए जाने हैं। इनमें रात को ठहरने एवं सोने की सुविधाएँ, परिवार को ठहराने की सुविधाएँ, प्रकृति चित्रण केन्द्र, तराई क्षेत्र गैलरी आदि भी प्रस्तावित किए गए हैं।

इस समय बाढ़ के पानी की कीचड़ निकालने का इन्तज़ाम किया जा रहा है और पारिस्थितिकीय एवं जलीय जीव–जन्तुओं और वनस्पतियों के लिए पर्यावास के रूप में इसे उपयोग में लाया जाएगा।

02. अरावली जैव–वैविध्य पार्क

अरावली जैव–वैविध्य पार्क 692 एकड़ क्षेत्र मे फ़ैला है और यह वसन्त विहार के निकट स्थित है। यह पार्क वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था।

अरावली जैव–वैविध्य पार्क संसार के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं का एक स्वरूप है और यह शहरी आधारिक संरचना का एक एकीकृत भाग है जिसमें शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा परिवर्तनशील मूल्य निहित हैं। इस पार्क के अन्य कार्य–कलाप पारिस्थितिकीय–पर्यटन को बढ़ावा देने और भू–जल की सुरक्षा सहित स्थानीय पर्यावरण को संरक्षित करना है।

अरावली जैव–वैविध्य पार्क का भू–दृश्यांकन उथली घाटियों सहित लहरदार हैं; उभार वाली रिज एवं समतल क्षेत्र भी हैं लेकिन कहीं–कहीं विविध प्रकार के समोच्च रेखाओं के घनित गड्ढे हैं और विभिन्न आकृतियों वाले म्यूरेम हैं। दो प्रमुख ज़ोन, (1) आगन्तुक ज़ोन और (2) प्रकृति आरक्षण ज़ोनों का सीमांकन किया गया है।

आगन्तुक ज़ोन में निम्नलिखित विशेषताएँ विकसित की गई हैं:–

जैसे वनस्पति वाटिका, श्रृंखला भूमि, झील इको सिस्टम, तटवर्ती

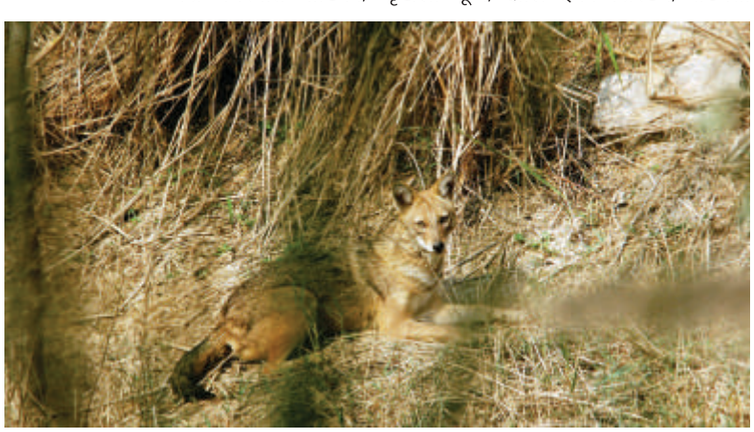

अरावली जैव–वैविध्य पार्क – वन्य जीवन

वनस्पति वाली नम भूमि, फल प्रजातियों की संरक्षिका (ऑर्चिडेरियम), विविध पत्तियों की संरक्षिका (फर्नरी), तितिलियों की संरक्षिका, एम्फ़िथिएटर, कैंप स्थल, गाँठदार एवं रन्दीय पौधों की संरक्षिका।

प्रकृति आरक्षण ज़ोन में अनेक प्रकार की प्रजातियाँ विकसित की गई हैं जैव–वैविध्य फ़ाउण्डेशन बैठक में व्याख्यान केन्द्र की अवधारणा अनुमोदित की गई हैं जिसके विवरण पर कार्रवाई की जा रही है। विद्यमान सिन्धिया ढाँचे को उन्नत करने की अवधारणा योजना को कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाएगा और सम्मेलन कक्ष तैयार किया जा रहा है।

03. यमुना नदी तट विकास परियोजना, ज़ोन–ओ

(जैव–वैविध्य पार्कों का जन मनोरन्जन स्थलों सहित समेकित विकास)

यमुना नदी तट विकास परियोजना एक अद्वितीय विशेष परियोजना है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई है। इस परियोजना को यमुना नदी तट विकास प्राधिकरण और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा संकल्पनात्मक संरचना योजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद वर्ष 2009 में माननीय उप–राज्यपाल श्री. तेजेन्द्र खन्ना द्वारा सरकारी तौर पर शुरू कर दिया गया था। **इस परियोजना का उद्देश्य यमुना जैव–वैविध्य को सुरक्षित, संरक्षित एवं बनाए रखना तथा सार्वजनिक मनोरन्जन स्थलों के साथ एकीकृत करना है, जो शहर की आवश्यकता है।**

यमुना जैव–वैविध्य पार्क में चीकू का वृक्ष

विद्यमान पुलों के बीच यथा विभाजित ज़ोन 'ओ' का उच्च जैव–वैविध्य संभावनाओं वाली विद्यमान पॉकेट के लिए विश्लेषण किया गया है। उक्त सम्भावनाओं का निर्धारण करने के बाद भूमि को संरक्षित ज़ोन, परस्पर प्रभावित जैव–वैविध्य ज़ोन और सार्वजनिक मनोरन्जन ज़ोन के रूप में विभाजित किया गया है।

संरचनात्मक योजना

संरचनात्मक योजना मूल्यांकन विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई। यह मूल्यांकन विश्लेषण स्थल के अध्ययन और अन्य वास्तविक आँकड़ों के माध्यम से किया गया था। जो क्षेत्र अधिक आवागमन मार्गों सहित रिहायशी बस्ती के अधिक निकट होते हैं, जहाँ लोगों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता हो और जहाँ विद्यमान सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हों, वे अल्प जैव–वैविध्य सम्भावना वाले क्षेत्र होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक मनोरन्जनात्मक ज़ोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जब कि विद्यमान नम भूमि के अधिक सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों और नदी की घाटी की वनस्पति को संरक्षित जैव–वैविध्य ज़ोनों के रूप में रखा गया है, साधारण सम्भावना वाले क्षेत्र,

जो लोगों को तटवर्ती पारिस्थितिकी एवं जैव–वैविध्य को जानने का अवसर देगा, को परस्पर प्रभावित जैव–वैविध्य ज़ोनों का नाम दिया गया है। ये एक–दूसरे से हरित क्षेत्रों के माध्यमों से जुड़े हैं, जो न केवल वन्य प्राणियों के विचरण का मार्ग होगा और पक्षियों के रहने का स्थान होगा बल्कि जैव–वैविध्य के लिए असुरक्षित क्षेत्रों के बीच बफ़र की व्यवस्था भी करेगा।

यमुना जैव–वैविध्य पार्क में प्रवासी पक्षियों का एक दृश्य

अध्ययन और संरचनात्मक योजना डिज़ाइन दिशा–निर्देशों के आधार पर नदी क्षेत्र के प्रत्येक उप–ज़ोन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए गए। इनमें निम्नलिखित कार्यकलापों में से कुछ शामिल होंगे:–

- जैव–वैविध्य पार्क नदी की उत्कृष्ट जलीय वनस्पति एवं जीव–जन्तुओं को बनाए रखने के लिए नम भूमि के अलग–अलग भाग विकसित करेंगे। ये प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए आदर्श आश्रय स्थल हैं।
- ये पार्क वायु को प्रदूषण–मुक्त करने वाले बड़े स्थानों के रूप में भी काम करेंगे। इनसे सूक्ष्म जलवायु विषयक स्थितियों में सुधार होगा और बहुत अधिक गर्मियों के दौरान तापमान कम रहेगा।
- ये जैव वैविध्य पार्क अद्वितीय भूदृश्यांकन से पूर्ण हैं, जो जीवीय समुदायों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के रूप में प्राकृतिक विरासत को बढ़ाते हैं।
- यहाँ नदी किनारे दिलचस्प सैर (विहार स्थल) की जा सकेगी और कुछ स्थानों पर चौक और घाट बनाए जाएंगे, जो नागरिकों को आजकल इन स्थलों पर छठ पूजा, मूर्ति विसर्जन और अन्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यकलापों के लिए मदद करेंगे।
- विजुअल एक्सिस के साथ–साथ थीम गार्डनों की श्रृंखला का प्रस्ताव किया गया है जिनसे दिल्ली के नागरिकों को मदद मिलेगी और सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रकृति के शुद्ध रूप का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।
- नदी या जैव वैविध्य पार्कों के साथ–साथ बने थीम पार्कों से पारिस्थितिकीय शिक्षा, जागरूकता के अवसर मिलेंगे और बच्चों सहित आम जनता को इस खुले क्षेत्र में आयोजित अनेक विषयों (थीम) पर आधारित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, शिविर स्थलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
- आम जनता की जानकारी को बढ़ाने के लिए सब्ज़ियों के खेत और किस्म–किस्म के देशी फलों के बाग लगाने की योजना है।
- इन पार्कों को विकसित करके पारिस्थितिकीय पर्यटन, सामाजिक कार्यकलाप और शैक्षिक महत्त्व को निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा।

इस पूरी योजना का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को व्यापक मनोरंजनात्मक क्षेत्रों से लाभ पहुँचाना है और इसके साथ–साथ नदी तट का संरक्षण करना है, उसे बनाए रखना है और जैव–वैविध्य को बढ़ाना है।

विकास का प्रथम चरण

अतः परियोजना विकास नीति भूमि की उपलब्धता पर आधारित है। विकास के अपने पहले चरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि के उपलब्ध चार (4) खण्डों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसी तरह चरणबद्ध विकास कार्य उस समय शुरू किया जाएगा, जब दि. वि. प्रा. के कब्ज़े में भूमि आ जाएगी।

कब्ज़े में भूमि, जिस पर प्रथम चरण में विकास के लिए ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है:

1. यमुना जैव वैविध्य पार्क, उप ज़ोन –I
2. कुदसिया घाट, अ. रा. बस–अड्डे के निकट, रिंग रोड, उप ज़ोन –II
3. गोल्डन जुबली पार्क, उप ज़ोन –IV
4. एनएच–24 से डीएनडी फ्लाई वे तक, उप ज़ोन –VII

यमुना जैव वैविध्य पार्क में तितलियाँ

04. गोल्डन जुबली पार्क, उप–ज़ोन IV के लिए भूदृश्यांकन प्रस्ताव (यमुना नदी तट का विकास)

(हमारी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का आयोजन)

फेज–1

पार्क का डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि परस्पर प्रभावित जैव वैविध्य ज़ोन और मनोरंजनात्मक ज़ोन दोनों में सामंजस्य बना रहे।

इस पार्क के अन्दर तीन मुख्य पहुँच मार्ग हैं जिनमें से पहले मार्ग से प्रवेश चौक से नदी तक का साफ़ नज़ारा देखा जा सकता है, दूसरा मार्ग प्रदर्शनी क्षेत्र से होकर जाता है और अन्तिम पहुँच मार्ग शहरी लॉनों और परस्पर प्रभावित ज़ोनों से होकर जाता है। ये सभी मार्ग यमुना के घाट पर मिलते हैं।

शहरी लॉनों के दक्षिण में विद्यमान जलाशय को सुरक्षित बनाए रखा गया है और तीन अन्य जलाशय स्थल पर प्राकृतिक रूप से बनने वाले गड्ढों की मदद से बनाए गए हैं। नदी तट के साथ–साथ घास के मैदान में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए कई तालाबों से जैव वैविध्य को बनाए रखा गया है।

अपस्ट्रीम जैव वैविध्य पार्कों से डाउन स्ट्रीम जैव वैविध्य पार्कों तक वन्य जीवों के आवागमन के लिए हरित क्षेत्र सम्पर्क–मार्ग के रूप में काम करता है। ये हरित क्षेत्र पक्षियों एवं जीव–जन्तुओं के लिए आश्रय स्थल की भी व्यवस्था करते हैं और नदी की पारिस्थितिकीय प्रणाली के लिए बफर की व्यवस्था भी करते हैं।

द्वारका में ई.डब्ल्यू.एस. आवास का एक नमूना

फ़ेज – II

गोल्डन जुबली फ़ेज – II में नदी तट के साथ–साथ परस्पर प्रभावित जैव वैविध्य ज़ोन और बाई पास रोड से सटे हुए क्षेत्रों में सार्वजनिक मनोरंजनात्मक ज़ोन हैं। दोनों ज़ोनों को विभाजित करने के लिए एक केन्द्रीय नम भूमि तैयार की गई है, जो मनोरंजनात्मक विशेषता के साथ पक्षियों एवं जीव जन्तुओं के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करती है। तितली उद्यान से घिरे हुए शिविर स्थल सहित परस्पर प्रभावित जैव वैविध्य ज़ोन का डिज़ाइन तैयार किया गया है, ताकि लोग प्रकृति की निकटता को अनुभव कर सकें। मनोरंजनात्मक ज़ोन का केन्द्रीय बिन्दु इवोल्यूशन पार्क है, जिसका डिज़ाइन शहर स्तरीय मनोरंजनात्मक सुविधा के रूप में शहर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसके डिज़ाइन में खिलौने के रूप में एक ट्रेन, पैदल पथ और थोड़ी–थोड़ी दूरी पर धरती से ऊपर बने हुए बाँस से बने रास्ते शामिल हैं। इस पार्क में फैनिरोजोयक इओन (0.5 अरब वर्ष पूर्व) से पृथ्वी पर जीवन के क्रमिक विकास को दर्शाया गया है जिसके तीन युगों को आठ ज़ोनों में चित्रित किया गया है, जिन्हें दीर्घवृत्ताकार चक्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह यात्रा दीर्घ वृत्त के एक सिरे पर हरे गोल स्थान के रूप में बनाए गए स्टेशन से शुरू होती है और ज़ोन 6 पर रुकती है, जो दूसरे सिरे पर नक्षत्रों के आपस में टकराने से व्यापक विनाश को दर्शाता है, जिसके बाद एक

साइलेंट ज़ोन है। विद्यमान गड्ढों को जलाशय बनाने के लिए प्रयोग

किया गया है, जबकि विद्यमान गाड़ी–मार्ग आवागमन नेटवर्क के रूप में रखा गया है। विद्यमान अस्त–व्यस्त/छूटे हुए स्थलों का प्रयोग पार्किंग

स्थल, प्रवेश चौक आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए किया गया है। पानी भरे क्षेत्रों और लम्बी घास वाले विद्यमान वनस्पति वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक भू–दृश्यांकन के रूप में रखा गया है।

05 कुदसिया घाट, उप–ज़ोन II के लिए भू–दृश्यांकन प्रस्ताव

यह स्थल रिंग रोड पर अ. रा. बस अड्डे के चौराहे से दिखाई देता है और यहाँ यमुना के ऊपर बने फ़्लाई–ओवर पुल के विद्यमान क्लोवरलीफ लूप से नीचे से पहुँचा जा सकता है। प्रस्ताव में कुदसिया घाट, जिसे अतिक्रमणों से खाली कराया गया और दि. वि. प्रा. पार्क, जिसे घड़ी वाला पार्क कहा जाता था और जो घाट से सटा हुआ है, शामिल हैं तथा इन दोनों के बीच की विद्यमान दीवार को हटाकर इन पर सोच –विचार किया जाएगा।

कुदसिया घाट प्रस्ताव आस–पास के क्षेत्रों और पूरे शहर की कार्मिक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इन घाटों पर खुले क्षेत्रों, बागों और बड़ी संख्या में लोगों के लिए मूर्ति विसर्जन हेतु पानी की अलग धारा के रूप में सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। पानी की पृथक् धारा को बाद में साफ़ कर दिया जाएगा, ताकि इससे नदी का जल प्रदूषित न हो।

चार बाग की संकल्पना का प्रयोग औपचारिक चौक और घाट बनाने के लिए किया जाता है, जहाँ नदी के किनारे विभिन्न उत्सवों को मनाने के लिए लॉन, शेल्टर और वृक्षों की व्यवस्था होती है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है और उनके लिए बैठने के क्षेत्र, बाग, वृक्षारोपण, चौक आदि जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। स्थल की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए एक पृथक् प्रवेश चौक की योजना बनाई गई है। चार बाग संकल्पना का प्रयोग प्लाज़ा डिज़ाइन में किया जाता है। इसमें औपचारिक हरित क्षेत्र, शेल्टर और वृक्षारोपण क्षेत्र शामिल होते हैं। खुले पार्क में अर्ध खुले क्षेत्रों की व्यवस्था अलग–अलग दूरी पर शेल्टर के रूप में की जाती है। इस स्थल पर सुविधाजनक भ्रमण के लिए पैदल पथों का नेटवर्क है और आरामदेह मोड़ बने हुए हैं। डिज़ाइन में संभावित अच्छे तरीके से विद्यमान विशेषताओं जैसे टीले और बेलबूटों से लदे वृक्षों को शामिल किया गया है। ज़ोन "ओ" की संरचनात्मक योजना के अनुसार 30 मीटर से 50 मीटर तक चौड़ी एक हरित पट्टी स्थल से होकर जाती है और यह टीले एवं चौक के बीच से होकर गुज़रती है।

मिलेनियम पार्क

06 एनएच–24 से डीएनडी फ़्लाई–वे तक उप–ज़ोन VII का भू–दृश्यांकन

पश्चिमी तट

पश्चिमी तट की संकल्पना विकसित की गई क्योंकि यह क्षेत्र प्रथम चरण में उपलब्ध है। रिंग रोड के साथ–साथ पश्चिमी तट के किनारे पर इसके सामने की तरफ हुमायूँ का मकबरा है। यमुना नदी के साथ हुमायूँ के मकबरे के ऐतिहासिक एवं विजुअल महत्त्व को ध्यान में रखते हुए एक सांस्कृतिक एक्सिस सुरक्षित एवं विकसित की गई है, जिसमें मुगल गार्डन के रूप में भू–दृश्यांकन हैं। विजुअल एक्सिस के साथ–साथ थीम गार्डन की शृंखला का प्रस्ताव किया गया है, जो दिल्ली के नागरिकों को सुविधा प्रदान करेंगे और सभी आयु वर्ग के लोगों को विभिन्न कार्यकलापों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करेंगे।

रिंग रोड के साथ–साथ मिट्टी एवं मलबे के विद्यमान खत्ते हैं, क्योंकि उसके आस–पास के क्षेत्र में निर्माण कार्यकलाप चल रहे हैं। यह निर्णय लिया गया था कि मिट्टी के इन ढेरों का प्रयोग डिज़ाइन में किया जाए। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक एक्सिस का पता लगाया गया था, जो सांस्कृतिक एक्सिस को काट रही है तथा इसके साथ–साथ थीम गार्डन का प्रस्ताव किया गया है।

भलस्वा गोल्फ कोर्स

थीम गार्डन बनाने के साथ–साथ एक नॉलेज एक्सिस की योजना भी बनाई गई है। इसके साथ–साथ नियोजित कार्यकलापों का उद्देश्य पारिस्थितिकीय शिक्षा, जागरूकता के अवसर उपलब्ध कराना है और बच्चों सहित आम जनता को इस खुले क्षेत्र में आयोजित अनेक विषयों (थीम) पर आधारित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराना है। आम जनता की जानकारी को बढ़ाने के लिए सब्ज़ियों के खेत और किस्म–किस्म के देशी फलों के बाग लगाने की योजना है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आरोग्यता को समर्पित एक जेन गार्डन (शहरी आध्यात्मिक परिष्करण एवं प्रबोधन हेतु) डीएनडी के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। यह पहल विविध एवं उन्नतिशील प्राकृतिक वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए की गई है जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों की सामाजिक एवं आध्यात्मिक भलाई के लिए अनिवार्य है। यहाँ इस सन्दर्भ में ज़ेन गार्डन का अर्थ भू–दृश्यांकन के रूप में साधनामय एवं स्वास्थ्यकर वातावरण का सृजन करना है जो प्रकृति की शक्ति का प्रदर्शन करते समय नम्रता/निष्कपटता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत तत्त्व पत्थर, रेत, जल और पौधों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ जड़ी–बूटी उद्यान, सुगन्धमय उद्यान, साधना स्थल, प्राकृतिक चिकित्सा और योगा हट्स आदि की योजना बनाई जाएगी।

विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक सभा क्षेत्र शिविर स्थल का प्रस्ताव किया गया है, ताकि शहर के भावी नागरिकों को प्रकृति की निकटता का एहसास कराया जाए और उनकी जागरूकता बढ़ाई जाए। नदी के किनारे कुछ घास के मैदानों की भी योजनाएँ हैं।

पश्चिमी तट पर डीएनडी फ़्लाई–वे के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को जैव वैविध्य क्षेत्र का नाम दिया गया है जहाँ नम भूमि में स्थानीय वनस्पति उगी हुई है और जीव–जन्तु रहते हैं। आस–पास बनी हुई इमारतों के बीच यह वायुप्रद स्थान है और यहाँ के निवासी यहाँ अच्छे पारिस्थितिकीय वातावरण का आनन्द ले सकते हैं।

पूर्वी तट

- इस तट के दक्षिणी किनारे पर स्थित भूमि को संरक्षित जैव वैविध्य के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि इस समय हिंडन नहर का पानी इस स्थल पर फ़ैल रहा है, जिससे बहुत बड़ा नम भूमि क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र के अन्दर जैव वैविध्य ज़ोनों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र निर्धारित किया गया था जिसका सी. ई. एम. डी. ई. द्वारा जैव वैविध्य ज़ोन विकसित करने के लिए अध्ययन एवं प्रयोग किया जाना है।
- परस्पर प्रभावित जैव वैविध्य क्षेत्र में भ्रमण–मार्गों की योजना बनाई गई है, जो नम भूमि, टीलों और घास के मैदानों को जोड़ेंगे और जनता को नदी तट की पारिस्थितिकी और जैव वैविध्यता को जानने का अवसर देंगे, जो मानव–हस्तक्षेप से पूर्व विद्यमान थी।
- जबकि इस तट का उत्तरी भाग जनता की परिकल्पना वाला क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के शहरी मनोरंजन के लिए एक खुला क्षेत्र विकसित किया गया है।
- विद्यमान पंटून रोड के साथ–साथ मैदान, बाल–क्रीडा क्षेत्र एवं थीम पार्क जैसे खुले स्थलों की योजना बनाई गई है। यह पंटून रोड भविष्य में क्षेत्रीय विकास योजना में एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में बनाया जाना भी प्रस्तावित है। फूड कोर्ट, बाँस से बने अस्थायी ढाँचों वाले अनौपचारिक बाज़ार की भी योजना है। जलाशय के साथ–साथ एक ओपन एयर थियेटर प्रस्तावित है, जो स्थल पर पहले ही मौजूद है। इस रोड के साथ–साथ परस्पर प्रभावित बाग भी लगाया जाएगा जिनमें किस्म–किस्म के देशी फल होंगे।
- प्रस्तावित ढाँचे, जिनका निर्माण किया जाना है, वे पारिस्थिति की अनुकूल सामग्री जैसे बाँस और जूट से बने होंगे।

07 उत्तरी रिज

उत्तरी रिज दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार एक क्षेत्रीय पार्क है, जिसे आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाना है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के निकट स्थित है और कमला नेहरु रिज के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 87 हेक्टर है। इस क्षेत्र का व्यापक रूप से प्रयोग प्रातःकालीन भ्रमणकर्ताओं, प्रकृति एवं विरासत

उत्तरी रिज स्थित जलाशय का एक दृश्य

प्रेमियों द्वारा किया जाता है। ले–आउट प्लान प्राकृतिक रास्तों को दर्शाता है और जल संग्रहण विकसित किया गया है और स्थल पर कार्य शुरू किया जा चुका है। मुख्य कार्य जन्मजात वन समुदायों को वापस लाने का काम करना है। इसके लिए 20,000 देशी पौधों की पौध पहले ही लगा दी गई है। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर संरक्षित वास्तुकलात्मक स्मारक विद्यमान हैं। एक विरासत श्रृंखला सभी स्मारकों को जोड़ती है और प्राकृतिक रिज समुदायों से गुज़रती है। इस तरह यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी पर्यटन और संरक्षण ज़ोन बन जाएगा।

08 तिलपथ वैली

यह क्षेत्र दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार क्षेत्रीय पार्क है, जिसे दक्षिणी रिज के रूप में अधिसूचित किया जाना है। इसे जैव वैविध्य पार्क के रूप में विकसित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। माननीय उप–राज्यपाल के आदेश के अनुसार इस क्षेत्र का विकास विभिन्न

सरकारी विभागों के अधीन भूमि का स्वामित्व होने के बावजूद भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस भूमि का स्वामित्व दि. वि. प्रा. को अन्तरित किया जाना है।

तिलपथ वैली दिल्ली की मुख्य जल विभाजक (वॉटर शैड) है और शहरी घाटियों में से एक है। यह एक तरफ असोला वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ी हुई है। इग्नू की समतल पहाड़ियाँ और सार्क यूनिवर्सिटी कैम्पस इसकी दूसरी तरफ की सीमा है। तीसरी सीमा सैनिक फार्म और संगम विहार से बनी हुई है।

वृहद जल विभाजक से जल का सतही अपवाह घाटी में प्रवेश करता है, जो बहुत बड़ा स्रवण (कैचमेण्ट) क्षेत्र और जल संग्रहण ज़ोन है। पहाड़ियों से निकलने वाले बारहमासी झरने इस क्षेत्र में बने रहते थे। स्थल का ढलान, जल–विकास, विजुअल वनस्पति विश्लेषण कर लिया गया है।

तिलपथ वैली जैव वैविध्य पार्क के तीन मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- जल स्रवण क्षेत्र को पुनः बनाए रखना ताकि जल संग्रहण करने और सतही जलाशयों का विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- सूखे पर्णपाती वन समुदायों, घास के मैदानों और बाँस झुरमुटों का विकास करना ताकि वन्य जीवन के लिए अच्छा आश्रय स्थल बनाया जा सके।
- हरियाणा से तिलपथ वैली जैव वैविध्य पार्क में वन्य जीवन के आवागमन के लिए असोला और भाटी वन्य जीव अभयारण्य कॉरिडोर को पुनः बनाए रखना।

9. नीला हौज़

सबसे बड़े ऐतिहासिक प्राकृतिक जलाशयों में से एक है, जो वसंत कुंज में स्थित है और अरुणा आसफ अली रोड पर संजय वन से सटा हुआ है। संजय वन दक्षिणी केन्द्रीय रिज का एक भाग है और रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इसे आरक्षित वन माना जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने हौज़ के ऊपर एक पुल का निर्माण किया है जिसके कारण निर्माण के दौरान हौज़ मलबे एवं कचरे से भर गई थी।

इस क्षेत्र में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए माननीय उप–राज्यपाल ने इस क्षेत्र को जैव वैविध्य पार्क के रूप में विकसित करने के लिए और नीला हौज़ को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए थे। नीला हौज़ के जैव वैविध्य पार्क की संकल्पना योजना तैयार कर ली गई है।

झील में डाले गए ठोस कूड़ा करकट को निकालने के बाद झील की गाद निकालने का कार्य पूरा कर लिया गया है। नीला हौज़ और इसके आसपास का क्षेत्र दिल्ली के महत्त्वपूर्ण माइक्रो जल विभाजक और रिचार्ज ज़ोन में से एक है।

हौज़खास जिला पार्क स्थित झील का एक दृश्य

परिणामस्वरूप दो मुख्य कार्य शुरू किए जाएंगे:–

1. प्राकृतिक बहते हुए जल का जलमार्गीकरण करना।
2. स्रवण क्षेत्र का स्थानीय घास के मैदानों और सूखे पर्णपाती वन समुदायों में पारिस्थितिकीय बहालीकरण।

10. नारायणा स्थित सत्य पार्क की संशोधित भू–दृश्यांकन योजना

एक बहुउद्देश्य क्रीडा क्षेत्र और बास्केट बॉल मैदान दर्शक पंक्ति सहित सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। दर्शक क्षेत्र टेंसिल फ़ैब्रिक से कवर होगा, जो ढाँचे में प्लांटर के भीतर सुरक्षित रूप से रखे गए कॉलम से जुड़ा होगा। ये दर्शक पंक्ति प्लांटर तक होंगी। इन पंक्तियों का ढाँचा तीन स्थानों

द्वारका स्थित हरित क्षेत्र में आश्रय स्थल

पर मिट्टी के टीलों के अन्दर दबाया गया होगा। चौथे स्थान पर दर्शकों की सीट ऐसे स्थान पर लगी होगी कि वे बहुउद्देश्य क्रीडा क्षेत्र और प्रस्तावित बास्केट बॉल मैदान दोनों की तरफ देख सकेंगे।

प्लान्टर की मदद से मोटर क्षेत्र की रूप रेखा तैयार करके पार्किंग क्षेत्र के फ़ेस लिफ़्ट का भी प्रस्ताव है ताकि पैदल लोगों का प्रवेश केवल विद्यमान पैदल पथ से ही करवाया जा सके। इससे खेल क्षेत्र तक पहुँचने के लिए पैदल लोगों को हरित क्षेत्र से होकर जाने से रोका जा सकेगा, जिससे क्षेत्र का रखरखाव करने मे सहायता मिलेगी। खेल क्षेत्र के लिए प्रवेश को रिसीविंग प्लाज़ा द्वारा चिह्नित किया जाएगा जिससे खेल क्षेत्र को शेष पार्क से अलग रखा जा सकेगा। लोगों के लिए सुविधाजनक शौचालय ब्लॉक बनाए जाने का भी प्रस्ताव हैं अपेक्षित स्थानों पर टीले और वृक्षारोपण भी शामिल किए गए हैं।

11. द्वारका अंडरपास स्थित चौराहे के लिए भू–दृश्यांकन प्रस्ताव

भू–दृश्यांकन प्रस्ताव में चार आइलैंड, अंडरपास स्लैब के ऊपर दोनों तरफ़ की खाली जगह को हरा–भरा बनाना, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के निकट द्वारका अंडरपास चौराहे तक धौला कुआँ से रोड के साथ–साथ हरितपट्टी बनाना शामिल है।

चार आइलैंड को मोजिक पेवमेंट और हरित स्थलों से डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक आइलैंड को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कोने के दो भागों में साइकस जाति के पौधों सहित घास के टीले हैं। केन्द्रीय भाग, जिसका प्रयोग आने–जाने के लिए किया जाएगा नौ स्क्वेयर के ग्रिड में विभाजित किया गया है। इन नौ स्क्वेयर में सदा हरे रहने वाले पाम वृक्ष और विभिन्न किस्म की झाड़ियाँ लगाई गई हैं और यहाँ खडंजे वाले स्थान एवं प्लांटर्स हैं, जिनका प्रयोग सीट के रुप में किया जा सकेगा ।

बाहर दिखाई देने वाली अंडरपास स्लैब के ऊपर के स्थानों पर गोल आकार के घास वाले क्षेत्र हैं, जिनके दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं। ये पौधे सदा हरी–भरी रहने वाली तरह–तरह की झाडियां हैं जिनका रखरखाव कम है। सड़क के साथ–साथ हरी पट्टी में फूल वाले पौधे और कई किस्म के सदा हरे रहने वाले वृक्ष एवं झाड़ियाँ हैं, जिनके साथ–साथ स्टेपिंग स्टोन वाला खडंजे वाला क्षेत्र है।

12. पॉकेट ए 1 एवं ए 3 सेक्टर – 8 रोहिणी की हरित पट्टी की भू–दृश्यांकन योजना

लगभग 4.4 हैक्टेयर वाली यह हरित पट्टी रिंग रोड के साथ–साथ दो मुख्य चौराहों अर्थात्, दीपाली चौक और मधुबन चौक के बीच में सुव्यवस्थित रूप से बनाई गई है और इस पट्टी में अनेक विद्यमान वृक्ष, पथ, पानी की टंकियाँ और सीवर कवर है, जो विभिन्न स्थानों पर प्लेटफ़ॉर्मों के रूप में हैं। इस स्थल की सीधी रेखा को सड़कों द्वारा चार स्थानों पर अलग–अलग स्थानों को जोड़ने के लिए तोड़ा गया है कों विद्यमान मार्गों को नयी योजना में जोड़ने के लिए भू–दृश्यांकन योजना तैयार की गई जिसमें खुले हरित क्षेत्र को व्यवस्थित कर सुन्दर लॉन क्षेत्र बनाया जाएगा। डिज़ाइन की दृष्टि से ऊँचे और निचले सुव्यवस्थित क्षेत्रों को उपयुक्त माना गया। रोचक स्थान नियमित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष बिन्दुओं को चिह्नित किया गया जिसका प्रयोग पार्क में आने वाले लोगों द्वारा बैठने और आराम करने के लिए किया जाएगा।

13. भू–दृश्यांकन इकाई द्वारा शुरु की गई अन्य परियोजनाएँ

- वसंत कुंज में मेगा आवास के लिए भू–दृश्यांकन योजना का प्रस्ताव–I
- कोरोनेशन पार्क के लिए भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।
- बारापुला ड्रेनेज बेसिन के लिए भू–दृश्यांकन विकास ।
- पॉकेट ए 1 और ए 3, सेक्टर – 8, रोहिणी में हरित पट्टी की भू–दृश्यांकन योजना ।
- सेक्टर 1 से सेक्टर 8, रोहिणी में पार्क की भू–दृश्यांकन योजना।
- हरित क्षेत्र में शौचालय, शेल्टर, पीने के पानी आदि सुविधाओं की व्यवस्था ।
- पार्कों का विद्युतीकरण – दिशानिर्देश ।
- सेक्टर – 23, द्वारका में खेल के मैदान की भू–दृश्यांकन योजना ।
- हौज़खास मनोरंजनात्मक परिसर में सुधार पार्क ।
- स्वर्णजयंती पार्क, रोहिणी में सुधार कार्य ।
- रोहिणी एवं द्वारका के मनोरंजन एवं हरित क्षेत्रों के भू–दृश्यांकन डिज़ाइन ।
- वेबसाइट पर पार्कों की सूची ।
- संजय वन के भू–दृश्यांकन का संरक्षण ।
- पार्कों के विद्युतीकरण हेतु नीतियाँ ।
- सभी पार्कों में जन सुविधांओं एवं बगीचों को नीति के तहत जोड़ा जाए।
- अशोका गार्डन, न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी का सुधार ।

रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क की झील का एक दृश्य

10. आवास

10.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1967–68 से आवास निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। प्राधिकरण समय–समय पर विभिन्न वर्गों के फ़्लैटों के लिए योजनाओं की घोषणा करता रहा है। प्रथम पंजीकरण योजना वर्ष 1969 में आरंभ की गई। इसके पश्चात् अब तक 43 योजनाओं को शुरू किया गया। अब तक आरंभ की गई 44 योजनाओं में से 1 योजना ही शेष है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 31.3.2012 तक दि. वि. प्रा. ने 3,94,738 मकान आबंटित किए। (इसमें वे मकान भी शामिल हैं जिन्हें वापिस किए जाने/रद्द किए जाने के पश्चात पुनः आबंटित किया गया)।

10.2 दि. वि. प्रा. आवास योजना – 2010

लॉटरी के माध्यम से 1 शयन कक्ष, 2 शयन कक्ष और 3 शयन कक्ष वाले लगभग 16000 फ़्लैटों के लॉटरी द्वारा आबंटन के लिए दिनांक 25.11.2010 से 24.12.2010 तक योजना आरंभ की गई। कुल 7.56 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए। दिनांक 18.4.2011 को ड्रॉ का आयोजन किया गया और कुल 16118 फ़्लैटों का आबंटन किया गया।

10.3 फ़्लैटों का परिवर्तन

विद्यमान नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिनांक 31.3.2012 तक दि. वि. प्रा. द्वारा निर्मित 87,578 फ़्लैटों को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया गया।

पीतमपुरा में बहु–मंज़िले आवास

11. भूमि प्रबन्ध और भूमि निपटान विभाग

11.1 भूमि प्रबंध विभाग

11.1.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–I की देखभाल और सन् 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई नजूल–II की भूमि का प्रबंध एवं देखरेख भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय से एक पैकेज डील के अन्तर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय की भी कुछ भूमि देखभाल एवं रखरखाव के उद्देश्य के लिए दि. वि. प्रा. के पास है। इस भूमि का उपयोग एवं आबंटन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है।

11.1.2 भूमि प्रबंध विभाग के मुख्य कार्य है।:–

(i) भूमि अधिग्रहण।

(ii) भूमि प्रबंध।

(iii) उपयोग करने वाले विभाग द्वारा भूमि लिए जाने तक भूमि की सुरक्षा ।

(iv) भूमि उपयोग करने वाले विभागों की सहायता करना।

(v) भूमि प्रबंध संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेन्सियों के साथ समन्वय करना।

(vi) अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका निष्पादन करना ।

(vii) विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करना ।

(viii) मुख्य योजना प्रावधानों के अन्तर्गत दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करना ।

11.1.3 दिल्ली के संबंधित भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (एल. ए. सी) द्वारा दि. वि. प्रा. को 1.4.2011 से 31.3.2012 की अवधि के दौरान 329.08 एकड़ भूमि सौंपी गई थी।

11.1.4 भूमि प्रबंध विभाग का अति महत्त्वपूर्ण कार्य दि. वि. प्रा. की भूमि को अतिक्रमण से बचाना है। दि. वि. प्रा. ने भूमि की रक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्य प्रणाली बनाई है और पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी–पश्चिमी एवं रोहिणी में छः ज़ोन स्थापित किए गए हैं।

11.1.5 प्रत्येक ज़ोन के प्रमुख उपनिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी सहायता सचिवीय एवं फ़ील्ड स्टाफ़ द्वारा की जाती है। दि. वि. प्रा. की भूमि की नियमित रूप से निगरानी एवं देखभाल सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती है, जिन्हें विशिष्ट गश्त क्षेत्रों मे तैनात किया जाता है। अतिक्रमण की प्रवृति को रोकने के लिए निर्माण गिराने के अभियानों की योजना नियमित रूप से बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से उन्हें पूरा किया जाता है।

11.1.6 दि. वि. प्रा. ने 1 अप्रैल, 2011 से 31.3.2012 के दौरान 258 निर्माण गिराए और 50.238 एकड़ भमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। इस प्रक्रिया में कच्चे, पक्के और अर्ध पक्के 2642 ढाँचे हटाए गए।

11.1.7 क्षतिपूर्ति शाखा को दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियन्त्रण एवं प्रबंध वाली सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने, उनके कारण हुई क्षतिपूर्ति का आकलन करने एवं वसूली करने का कार्य सौंपा गया है। दि. वि. प्रा. सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही करता है। इस शाखा में दो संपदा अधिकारी हैं जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का आकलन करने और बेदखल करने का कार्य करने के लिए शक्तियाँ सौंपी गई हैं।

जिला पार्क, जसोला

11.1.8 वर्ष 2011–2012 के दौरान भूमि प्रबंध, दि. वि. प्रा. द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:–

क्रम संख्या	कार्य	1.4.2011 से 31.12.2011	1.01.2012 से 31.3.2012	कुल
1.	एलएसी द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि	321.58 एकड़	7.50 एकड़	329.08 एकड़
2.	निर्माण गिराने हेतु चलाए गए कार्यक्रम	206	52	258
3.	हटाए गए ढाँचे	2146	496	2642
4.	फिर से प्राप्त की गई भूमि	33.84 एकड़	16.398	50.238 एकड़
5.	क्षतिपूर्ति की वसूली	28,32,849/- रुपये	12,70,229/- रुपये	41,03,078/- रुपये
6.	बेदखली के निर्णीत मामलों की संख्या	20	शून्य	20

11.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि निपटान विभाग आवासीय, सांस्थानिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्लॉटों के निपटान का कार्य करता है। भूमि निपटान विभाग द्वारा निर्मित दुकानों का भी निपटान किया जाता है। नीलामी/निविदा द्वारा आबंटन किया जाता है। किसानों से ली गई भूमि के बदले में वैकल्पिक प्लाट आबंटित करने का कार्य भी भूमि निपटान विभाग द्वारा जाता है। वर्ष 2011–2012 के दौरान भूमि निपटान विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा प्राप्त उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:–

क्रम संख्या	मद	भूमि विक्रय शाखा (आ.)	सहकारी समिति	समूह आवास	भूमि विक्रय शाखा (आर. ओ)	भूमि प्रशासन शाखा (आर. ओ)	पुरानी योजना शाखा	व्यावसायिक भूमि	व्यावसायिक सम्पदा	भूमि विक्रय शाखा (1)	सांस्थानिक भूमि	कुल
1.	(क) वार्षिक प्राशुल्क (लाख रुपए में)	709.22	–	–	–	शून्य	1095	–	1467	–	4865	8137
	(ख) भूभाटक (लाख रुपए में)	61.77	–	–	–	192.79	–	–	–	10092.8	535	10882
2.	हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए	256	359	6875	–	2103	215	132	630	494	–	11064
3.	नामांतरण परिवर्तन की अनुमति दी गई	18	065	143	364	61	24	11	63	35	–	784
4.	पट्टा विलेख निष्पादित किए गए	13	01	–	–	268	–	43	–	–	26	351
5.	कब्ज़ा पत्र	28	शून्य	–	83	–	–	–	–	–	21	132
6.	ईओटी/समयावधि को बढ़ाया	08	05	–	शून्य	400	02	103	–	08	43	569
7.	बंधक रखने की अनुमति प्रदान की गई	00	02	–	–	05	03	–	–	–	11	21
8.	कारण बताओ नोटिस	14	02	–	02	58	02	24	250	–	64	416
9.	रद्दकरण	00	01	–	05	–	–	–	–	–	05	11
10.	बहालीकरण	00	शून्य	–	–	–	02	–	–	–	02	04
11.	(क) नीलामी द्वारा आबंटन	11	01	–	11	–	–	–	निविदा द्वारा 88	–	05	28
	(ख) विकल्प द्वारा	175	–	–	शून्य	–	–	–	–	–	–	175

राधू पैलेस (व्यावसायिक विकास) का एक दृश्य

रोहिणी में व्यावसायिक विकास

12. खेल विभाग

12.1 दिल्ली में खेलकूद हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करने एवं समाज के सभी वर्गों के सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को खेल सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से, जैसा कि दिल्ली मुख्य योजना – 2001 में ज़ोर दिया गया है, दि. वि. प्रा. दिल्ली के सभी क्षेत्रों (ज़ोनों) में खेल परिसरों का विकास कर रहा है। पहला खेल परिसर सीरी फ़ोर्ट में 1989 में खोला गया। तब से अनेक खेल परिसरों का निर्माण हुआ। सार्वजनिक गोल्फ़ कोर्सों के विकास का कार्य भी दि. वि. प्रा. द्वारा किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजनों के लिए, दिल्ली मुख्य योजना–2021 में यथा घोषित खेलकूद आधारिक संरचना के विकास के बढ़ते क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीरी फ़ोर्ट में स्क्वैश एवं बैडमिंटन के लिए एवं यमुना खेल परिसर में टेबल टेनिस, लॉन बॉल और तीरन्दाज़ी के लिए, दो स्टेडियमों का निर्माण किया है। ये दोनों स्टेडियम, संबंधित खेलों में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए नियोजित किए गए हैं। इन स्टेडियमों का उपयोग फ़ेडरेशन कॉर्पोरेट द्वारा बहुप्रयोग हेतु किया जा सकता है जिसमें पेशेवरों आदि द्वारा प्रशिक्षण शामिल हैं।

यद्यपि खेल परिसर सदस्यता आधारित होते हैं, निर्धारित साधारण राशि का भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। तथापि विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यालयों/खेल संघों और एसोसिएशन को विशेष छूट है।

प्रत्येक खेल परिसर में 20 से अधिक खेल खेलने की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

12.2 खेलकूद आधारिक संरचना

खेल परिसर	13 (दक्षिण में 4, उत्तर, पश्चिम और पूर्व में तीन–तीन)
लघु खेल परिसर	3 (मुनीरका, प्रताप नगर, कांति नगर)
तरणताल	16
खेल परिसरों में फ़िटनेस केन्द्र	17
हरित क्षेत्र में मल्टी जिम	23
लघु फुटबाल मैदान	11 (हरित क्षेत्रों में 7 और खेल परिसरों में 4)
गोल्फ कोर्स	2 (लाडो सराय और भलस्वा)
लघु गोल्फ कोर्स	2 (सीरी फोर्ट और कुतुब गोल्फ कोर्स)
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	3 (सीरी फोर्ट,कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)
एक अन्य खेल परिसर अर्थात दि०वि०प्रा० स्क्वैश एवं बैडमिंटन स्टेडियम दिनांक 01.02.2012 से 'भुगतान करो एवं खेलो' आधार पर जनता के लिए खोला गया।	

सीरी फोर्ट खेल परिसर

12.3 सदस्यता की स्थिति/उपयोगिता

31 मार्च 2012 तक सभी खेल परिसरों/गोल्फ कोर्सों में विभिन्न वर्गों में सदस्यों की संख्या 61075 है। इनमें आकस्मिक सदस्य, अतिथि आदि शामिल नही हैं। 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान 18108 सदस्यों की सदस्यता अनुमोदित की गई।

खेल सुविधाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का दैनिक औसत लगभग 13550 है। इसके अतिरिक्त स्कूलों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि द्वारा प्रशिक्षण एवं खेलों के आयोजनों के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

12.4 खेलकूद गतिविधियां

12.4.1 टूर्नामेंट

खेल शाखा द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक आयोजित किए गए मुख्य टूर्नामेंट निम्नलिखित हैं:–

खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं	दिनांक	परिसर का नाम	स्तर
दसवां अंतर–परिसर क्रिकेट कोचिंग अकादमी/स्कीम टूर्नामेंट	01.11.2011 से 18.11.2011	चिल्ला खेल परिसर	परिसर
तीसरा अंतर–विद्यालय बास्केटबॉल टूर्नामेंट (फेज़ 1)	06.09.2011 से 16.09.2011	सभी खेल परिसर	विद्यालय
तीसरी अंतर–विद्यालय बास्केटबॉल चैम्पियनशिप (प्रत्येक खेल परिसर से विजेता एवं रनर अप टीमों के लिए)	22.09.2011 से 30.09.2011	वसंत कुंज खेल परिसर	विद्यालय
दि.वि.प्रा. पुरुष एवं महिला ओपन टेनिस टूर्नामेंट ए आई टी ए रैंकिंग 2011–12	24.12.2011 से 31.12.2011	साकेत खेल परिसर	राष्ट्रीय
17वां दि.वि.प्रा. स्क्वैश टूर्नामेंट 2012	11.01.2012 से 15.01.2012	सीरी फोर्ट खेल परिसर	राष्ट्रीय
एलजी कप गोल्फ टूर्नामेंट 2012	25.02.2012 से 26.02.2012	कुतुब गोल्फ कोर्स	राष्ट्रीय

12.4.2 खेल कूद महोत्सव

एक खेलकूद महोत्सव जो सदस्यों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें सभी आयु वर्गों के लिए व्यक्तिगत खेल जैसे कि टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स का आयोजन अक्तूबर–दिसम्बर, 2011 में किया गया।

प्रत्येक परिसर महोत्सव के भाग के रूप में स्कूल/राज्य स्तरीय टीम खेलों के लिए आमंत्रण टूर्नामेंट का भी आयोजन करता है।

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर में बैडमिंटन हॉल

12.4.3 प्रशिक्षण (कोचिंग)

सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग, एरोबिक्स, ताइक्वांडों आदि के लिए नियमित कोचिंग का आयोजन किया गया। लगभग 7000 प्रशिक्षणार्थियों ने कक्षा में भाग लिया। ये योजनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। विभिन्न योजनाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लगभग 200 से अधिक प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दि.वि.प्रा. और प्रशिक्षकों के बीच प्रशिक्षण प्रभार की राजस्व हिस्सेदारी की प्रणाली बहुत सफल सिद्ध हुई है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के समान है और सभी स्टेक होल्डर्स और प्रशिक्षणार्थियों के लिए लाभकारी है। दि.वि.प्रा. खेल परिसर बेहतरीन खेल सरंचना, जिसमें खेल के मैदान/कोर्ट शामिल हैं, प्रदान करता है। जबकि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने और अभिप्रेरित करने की ज़िम्मेदारी प्रशिक्षक की होती है।

12.4.4 ग्रीष्मकालीन कोचिंग

सभी खेल परिसरों के द्वारा स्कूलों/महाविद्यालयों के ग्रीष्मावकाश के दौरान विशेष ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्प का आयोजन किया जाता है, जिससे बहुत से लोग लाभान्वित होते हैं।

12.5 गोल्फ को प्रोत्साहन

कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है जिसे बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है एवं व्यस्त सीजन में सप्ताह के अंत में लगभग 300 राउंड खेले गए।

भलस्वा में 10 होल गोल्फ कोर्स विकसित होने से गोल्फ का खेल उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्लीवासियों के लिए सुलभ हो गया है। गोल्फ कोर्स में सदस्यता के अतिरिक्त सभी के लिए 'भुगतान करो और खेलो' सुविधा खुली है।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में एक लघु गोल्फ कोर्स का उन्नयन किया गया है और यह काफी लोकप्रिय भी हुआ है।

सीरी फोर्ट, कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स की गोल्फ ड्राइविंग रेंज नौसिखियों, शौकीनों और पेशेवरों द्वारा अपने खेल को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है।

इसके उपयोग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है एवं खेल के स्तर में सुधार हुआ है सीरी फोर्ट गोल्फ ड्राइविंग रेंज का उन्नयन किया गया है एवं दिनांक 01.07.2011 से उसको सदस्यों के लिए खोल दिया गया है।

12.5.1 गोल्फ प्रशिक्षण

नीति अनुसार, दि.वि.प्रा. एक वर्ष में 4 प्रशिक्षण कैम्प चलाता है। 3 कैम्प लगाए जा चुके हैं, इनमें से एक विशेष रूप से जूनियर/विद्यार्थियों के लिए था।

12.5.2 गोल्फ अकादमी

कुतुब गोल्फ कोर्स स्थित गोल्फ ड्राइविंग रेंज को आधुनिक सिंथेटिक पिचिंग एवं हरित क्षेत्र के साथ पूर्ण गोल्फ अकादमी में विकसित किया गया है। पुटिंग में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए सैमपुट लैब सिस्टम (प्रोवर्जन) भी प्राप्त की जा रही है।

प्रशिक्षण और कोचिंग के उद्देश्यों के लिए, कुतुब गोल्फ कोर्स के निकट एक 9 होल मिनी गोल्फ कोर्स भी विकसित किया गया है।

दि.वि.प्रा. ने जूनियर विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न आयु वर्ग के जूनियरों की कोचिंग के लिए कुतुब गोल्फ कोर्स में एक गोल्फ अकादमी स्थापित की है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गोल्फ के संभावित उम्मीदवरों की पहचान करना हैं। दि.वि.प्रा. कुछ प्रतिभावान जूनियर गोल्फरों को घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रस्तावित करता है। यह कार्यक्रम एक सप्ताह में 3 दिन आयोजित किया जाता है।

12.5.3 समाज के कमजोर वर्ग में गोल्फ को प्रोत्साहन देना

दि.वि.प्रा. पूरे वर्ष जूनियर विकास कार्यक्रम चलाता है यह सप्ताह में 3 दिन चलाया जाता है। 5 एवं 18 वर्ष की आयु के बीच के विद्यार्थी प्रतिमाह 3000/– रू की नाममात्र की राशि का भुगतान करते हैं। हमारे पास कमजोर वर्ग के तीन विद्यार्थी है जिनको पूरे वर्ष निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

दि.वि.प्रा. कैडीज गोल्फ को भी बढावा दे रहा है। हमने गोल्फ खेलने वाले 8 से 10 कैडीज को दो दिन एवं ड्राइविंग रेंज में एक दिन निःशुल्क खेलने की अनुमति दी है दो कैडीज ने हाल ही में थॉस कुक इंडियन गोल्फ लीग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया एवं एक कैडी मि. सहुन का चयन मलेशिया में वर्ल्ड अमेचर इंटर टीम चैपियनशिप में खेलने के लिए किया गया।

क्यू जी सी प्रति वर्ष इंटर क्लब कैडी टूर्नामेंट में चार कैडीज की एक टीम भेजता है। इस वर्ष मि. सहुन डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित इंविटेशनल इंटर क्लब कैडी चैंपियनशिप के विजेता थे। उन्होंने 5 ओवर खेले एवं हीरो होंडा स्पलैंडर बाइक पुरस्कार के रूप में जीती।

क्यू जी सी के तीन कैडीज को प्रशिक्षण दिया गया एवं भारतीय राष्ट्रीय गोल्फ अकादमी में परीक्षा उत्तीर्ण की एवं उनको 'घ' वर्ग श्रेणी के प्रशिक्षक का प्रमाण–पत्र दिया गया। इसके साथ अब तीन कैडीज पेशेवर प्रशिक्षक बन गए हैं एवं ये देश में किसी भी गोल्फ कोर्स में प्रशिक्षण दे सकते हैं।

12.5.4 गोल्फ टूर्नामेंट

विभिन्न संगठनों ने अनेक टूर्नामेंट आयोजित किए एवं इन टूर्नामेंट के लिए गोल्फ कोर्स को किराए पर लिया। गोल्फ के सीज़न में प्रतिमाह ऐसे दो टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुतुब गोल्फ कोर्स ने अपने सदस्यों के लिए दो मेडल राउंड आयोजित किए।

12.6 खेल प्रोत्साहन परियोजना

एथलेटिक्स एवं फुटबाल को आरम्भिक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए दि. वि.प्रा. ने क्रमशः 2001 एवं 2002 में दो खेल प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की थी। योजनाओं को दि.वि.प्रा. द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त है एवं ये प्रशिक्षण सलाहकारों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है। अर्जुन अवार्ड विजेता और पद्म श्री प्राप्त श्री जी. एस रंधावा, एथलेटिक्स सलाहकार हैं एवं श्री मैलविन डी सुजा, पूर्व फीफा रैफरी, फुटबाल सलाहकार हैं।

12.6.1 एथलेटिक्स प्रोत्साहन योजना (ए.पी.एस)

इस समय अंडर 14 से अंडर 20 वर्ष आयु वर्ग के 18 एथलेटिक्स (लड़के एवं लड़कियाँ दोनों) अपने संबंधित क्षेत्र में कोचिंग ले रहे हैं। इन योजनाओं से प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लिया और दि.वि.प्रा. के लिए जयपत्र अर्जित किए। कुछ उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

- दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 11.06.2011 से 14.06.2011 तक बैंगलोर में आयोजित अन्तर्राज्जीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण, 10 रजत, 5 कांस्य पदक जीते।
- 5 से 7 अगस्त 2011 तक लखनऊ में आयोजित नॉर्थ जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 4 कांस्य पदक जीते।
- 2 से 4 सितंबर, 2011 तक भोपाल के टेबल टेनिस स्टेडियम में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय अन्तः जोनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 में 1 स्वर्ण, 4 रजत, एवं 01 कांस्य पदक जीते।
- 1 से 4 नवम्बर 2011 को रांची में आयोजित जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 रजत पदक जीते।
- 04 से 07 जनवरी 2012 तक डी.पी.एस स्कूल, मेरठ में आयोजित सीबीएसई नेशनल इंटर स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक जीते।

12.6.2 फुटबाल प्रोत्साहन योजना (एफपीएस)

23 जुलाई – 24 जुलाई 2011 एवं 30–31 जुलाई 2011 को क्रमशः सीरी फोर्ट एवं यमुना खेल परिसर में फुटबाल प्रोत्साहन योजना के लिए नए प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिए खुली चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया।

अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान योजना के अन्तर्गत लड़कों की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित है :–

- फुटबाल प्रोत्साहन योजना के प्रशिक्षुओं ने एसजीएफआई द्वारा गोवा में आयोजित विभिन्न स्कूली। राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंटों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया।

12.7 खेल सूचना पत्र (न्यूजलैटर)

चार तिमाही खेल सूचना पत्र (न्यूजलैटर) मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर 2011 को समाप्त तिमाहियों में प्रकाशित किए गए। खेलों पर तिमाही न्यूजलैटर का प्रकाशन नियमित है। खेल सूचना पत्र खेलों और खेल परिसरों/गोल्फ कोर्स की अन्य गतिविधियों के बारे में समाचापत्र और सूचनाएं प्रकाशित करता है। यह समाचार पत्र विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों और खेल फेडरेशन/संघों को परिचालित किया जाता है ताकि उन्हें खेल शाखा द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न खेल गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जा सके।

12.8 विकास कार्य

- सभी परिसरो में सुविधाओं को ठीक ढंग से रखने के लिए हल्की मरम्मत का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान सभी खेल परिसरों में मुख्य उन्नयन कार्य भी कराया गया।

12.9 वित्त प्रबंध

दि.वि.प्रा. खेल परिसरों का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि वे दिन–प्रतिदिन के रखरखाव, स्टाफ के वेतन, संस्थापना की लागत जैसे सफाई कर्मचारी, सुरक्षा, उद्यान आदि के खर्च को परिसर स्वयं वहन कर सकें। तथापि, वर्धमान निर्माण कार्यों/पूंजीगत प्रकृति के कार्यों के उन्नयन सहित खेल परिसरों के विकास और अन्य खेल सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नजूल लेखा–II खाते से पूरा किया जाता है। परिसरों द्वारा सदस्यता हेतु इकट्ठी की गई अप्रतिदेय एक कालिक प्रवेश शुल्क राशि दि.वि.प्रा. मेन को पूंजीगत व्यय के लिए जमा कराई जाती है।

कुतुब गोल्फ कोर्स में खेला जा रहा गोल्फ

13. उद्यान– राजधानी को हरा–भरा बनाना

13.1 कंकरीट जंगल में सदा हरा–भरा रहने वाला वन मिलना आश्चर्य की बात है। इसी सत्यता के कारण दि.वि.प्रा. को देश के श्रेष्ठ हरित क्षेत्रों के जाल की व्यवस्था करने के लिए अपने ऊपर गर्व है। इस बात का श्रेय नगर वनों, वन स्थलियों, हरित पट्टियों, गोल्फ कोर्स खेल परिसरों इन्द्रप्रस्थ प्रार्क, टॉट–लॉट्स के विकास है, जो आवासीय कालोनियों, व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्रों तथा विरासत स्मारकों के आसपास बने हुए हैं।

वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूलों के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों आदि ने भाग लिया। लगभग 4.874 लाख पेडों की पौध और झाड़ियाँ लगाई गई। 31 बाल कार्नर के विकास के अतिरिक्त 111.15 एकड़ भूमि का विकास नये लॉन के रूप में किया गया।

13.2 अपने प्रारंभिक काल से लगभग पाँच दशकों से अधिक समय में दि.वि.प्रा. दिल्ली निवासियों को सुखी एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हुए दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सफल रहा। यह समझना होगा कि दिल्ली का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

वृक्षारोपण

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य				उपलब्धियाँ			
		वृक्ष		झाड़ियाँ		वृक्ष		झाड़ियाँ	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	निदेशक (उद्यान) द.पू.	90,215	1,35,32,250	1,42,490	1,07,21,250	85,668	1,28,50,200	1,41,893	1,06,41,975
2.	निदेशक (उद्यान) उ.प.	82,780	1,24,17,000	1,89,150	1,41,86,000	84,613	1,26,91,950	1,75,267	1,31,45,025
	कुल	1,72,995	2,59,49,250	3,32,100	2,49,07,250	1,70,281	2,55,42,150	3,17,160	2,37,87,000

लॉन का विकास

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	निदेशक (उद्यान) द.पू.	98 एकड़	1,47,00,000	27.00 एकड़	40,50,000
2.	निदेशक (उद्यान) उ.प.	121 एकड़	1,81,50,000	84.15 एकड़	1,26,22,500
	कुल	219 एकड़	3,28,50,000	111.15 एकड़	1,66,72,500

चिल्ड्रन कार्नर /उपस्करों का विकास

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	निदेशक (उद्यान) द.पू.	22 सेट	2,20,000	14 सेट	1,40,000
2.	निदेशक (उद्यान) उ.प.	25 सेट	2,50,000	17 सेट	1,70,000
	कुल	47 सेट	4,70,000	31 सेट	3,10,000

हौज खास मिनिएचर पार्क में पुष्प प्रदर्शनी का एक दृश्य

श्री तेजेन्द्र खन्ना उप राज्यपाल एवं दि.वि.प्रा. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हौजखास में पुष्प प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए

श्री जी एस पटनायक, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. एवं दि.वि.प्रा. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए

14. कोटि आश्वासन कक्ष

14.1 ''ग्राहक ही सर्वोपरि है और वह लाभान्वित होना चाहिए'' को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. अपने ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए गुणवत्ता का प्रयोग मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न विभागों में ही नहीं किया जाता बल्कि निर्माण और विकास कार्यों में भी किया जाता है।

14.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य मात्र कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंताओं द्वारा ही नियमित रूप से नहीं किया जाता बल्कि आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जांच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसे अब कोटि आश्वासन कक्ष कहा जाता है, के स्तर पर समय–समय पर निरीक्षणों का आयोजन करके भी जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य ठेका शर्तों, विशिष्टियों और ड्राइंगों के अनुसार किया जा रहा है।

14.3 कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसका वर्ष 1982 में थोड़े से कर्मचारियों के साथ गठन किया गया था जो अब 9 कनिष्ठ अभियंताओं, 10 सहायक अभियंताओ (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंताओं (6 सिविल और 1 विद्युत) एक सहायक निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता (कोटि–नियंत्रण) जो इनके प्रमुख हैं के साथ अपनी पूरी कर्मचारी संख्या सहित बढ़ गया है। कोटि आश्वासन में यह इकाई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगारी की कोटि में ही उत्तम नहीं है बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्युमेंट्स, स्पैसिफिकेशन आदि की कोटि में भी उत्तम है, और जब कभी भी आवश्यकता होती है यथा स्थिति समय–समय पर दिशा–निर्देश और परिपत्र आदि जारी करती है। कुछ बड़ी परियोजनाओं/प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया और सी.आर.आर.आई. आई.आई.टी. आदि अभिकरण भी परामर्शदाताओं के रूप में लिए गए हैं।

14.4 कोटि–आश्वासन कक्ष द्वारा मुख्य परियोजनाओं की फाउन्डेशन स्तर पर सुपर स्ट्रक्चर स्तर और अंतिम स्तर पर कम–से–कम तीन बार जांच होती है। कार्य पद्धति पहलु , सामग्री पहलु और कारीगरी के पहलु पर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए पूरा ध्यान दिया जाता हे जिसकी कोटि जांच परीक्षण के दौरान समुचित रूप से जांच की जाती है। नोट की गई कमी, यदि कोई हो तो उसे तुरंत उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता के ध्यान में लाया जाता है और उसके अनुपालन पर व्यापक निगरानी रखी जाती है।

14.5 अपनाई गई विशेष विनिर्दिष्टियों और प्रौद्योगिकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और वर्तमान आवश्यकताओं पर्यावरणीय जरुरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाता है। नई निर्माण सामग्री के उपयोग करने, नई तकनीकों, आर.एम.सी आदि का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना, समय और लागत पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं, सौंदर्य और भवन की संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से मॉनीटरिंग की जाती है।

14.6 ''आकाश की ऊंचाईयों को छूना''–इस तथ्य को मस्तिष्क में रखते हुए दि.वि.प्रा. लगातार सेवाओं और कार्य की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ा रहा है। प्रत्येक जोन में जोनल स्तर की परस्पर क्रियात्मक कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर अधीक्षण अभियंताओं तक के सभी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया और सतत् गुणवत्ता सुधार हेतु अपने अमूल्य सुझाव दिए। सी.पी.डब्ल्यू.डी./सी.आर.आर.आई./एन.सी.सी.बी./ एन.पी.सी. आदि विभागों द्वारा दक्षता उन्नयन हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को भेजा गया।

14.7 लंबे अरसे से लंबित कोटि नियंत्रण पैरों और मामलों को निपटाने पर भी बल डाला गया है, जिसके लिए विभिन्न अधिकारियों, ए.टी.आर. में पड़े लम्बित मामलों के लिए कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से संबंधित अधिशासी अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं/मुख्य अभियंताओं ने एक अभियान चलाया था और अंतिम कार्यवाही तक पहुंचने हेतु या तो मामलों को बंद कर दिया गया या दोषी कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध प्रशासनिक/संविदात्मक कार्यवाही की गई। परिणामस्वरूप कोटि आश्वासन कक्ष वर्ष के दौरान 63 पुराने मामलों को निपटाने में सफल हुआ और उसकी अंतिम कार्यवाही तक अच्छी संख्या हो गई।

14.8 जब कभी भी शिकायत मिली कोटि आश्वासन कक्ष/इकाई के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक समझे जाने पर सतर्कता इकाई द्वारा सतर्कता कार्यवाही आरंभ की गई। वर्ष के दौरान ऐसे 35 मामले जाँचे गए थे।

14.9 कार्य के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित और विश्वसनीय लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष ने एशियन गेम्स विलेज कॉम्पलैक्स में साधनों से सज्जित जांच लैब (एक सहायक अभियंता और 3 कनिष्ठ अभियंताओं सहित) बनाया हुआ है यद्यपि फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल पर दैनिक जांच की जाती है निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर लैब में जांच कराई जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में बहुत विश्वास उत्पन्न करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति को सरल एवं कारगर बनाया गया है और इस संबंध में संशोधित निर्देशन जारी किए जा रहे हैं, बाहर के लैबों में कम से कम 25% नमूनों को जांच के लिए देने

पर बल दिया जाता है। दस अन्य लैब जैसे श्रीराम टैस्ट हाऊस और एन.टी.एच., दिल्ली टैस्ट हाऊस भी सामग्रियों की जांच के लिए अनुमोदित हो गए है। इसके अतिरिक्त कोटि आश्वासन लैब को और भी नवीकरण/शक्ति युक्त बनाया जा रहा है।

14.10 दि.वि.प्रा. ने आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2000 लाइसेंस प्राप्त किया। कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस.ओ. 9001:2000 की कोटि प्रबंध प्रणाली जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंध, प्रशासन, कोटि नीति और कोटि उद्देश्य को प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, साधन प्रबंध, सेवा कार्यान्वयन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देती है, की पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा कर दिए जाने के बाद ही बी.आई.एस. कोटि प्रबंध प्रणाली से संतुष्ट हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टैंडर्डज) ने मार्च 2007 में दि. वि.प्रा. को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2000 के लिए ''कोटि प्रबंध प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सी.आर.ओ/क्यू.एस. सी/एल–8002720 प्रदान किया, जो मार्च 2013 तक मान्य होगा।

द्वारका, सैक्टर–14 में एल.आई.जी. फ्लैट

14.11 पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धियों के तुलनात्मक आँकड़े और वर्ष 2011–12 के दौरान उपलब्धियाँ तथा वर्ष 2012–13 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13 (लक्ष्य)
1.	निरीक्षण	100	260	170	231
2.	तकनीकी लेखा परीक्षा	–	–	9	7
3.	सीटीई टाइप निरीक्षण	–	4	3	9
4.	सामग्रियों के नमूने	165	233	342	407
5.	फाइलें बंद करना	73	63	56	86
6.	शिकायतों की जांच	30	35	9	जैसे ही जब प्राप्त
7.	कोटि आश्वासन प्रयोगशाला (नमूनों की जांच)	–	87	98	120
8.	सामान्य नमूने	4477	6920	5747	7740
9.	अचानक निरीक्षण	–	–	–	58

14.12 को.आ. कक्ष के परिपत्र

मुख्य अभियंता (कोटि आश्वासन कक्ष) ने वर्ष के दौरान परिपत्र संख्या 205, 206 एवं 207 जारी किए।

14.13 एजीवीसी सीरी फोर्ट में को.आ.कक्ष की पूर्ण विकसित प्रयोगशाला है जिसका प्रबंधन अधिशासी अभियंता (को.आ. कक्ष) के अन्तर्गत एक सहायक अभियंता एवं दो कनिष्ठ अभियंता करते है। इसमें सीमेंट, बिटुमन, सीसी क्यूब, ईटों, टाइलों,सड़क बनाने की सामग्रियों, लकड़ी के शटर इत्यादि की जाँच की सुविधा है। इस वित्त वर्ष में सिविल कार्यों की जाँच एवं परीक्षण में सहायता करने के लिए इस प्रयोगशाला को न टूटने वाले जाँच उपकरणों जैसे डिजीटल रिबाउंड हैमर, अल्ट्रासॉनिक पल्स वैलोसिटी कंक्रीट टैस्टर, कॉरोजन एनालाइजर, पाईल्स की जाँच के लिए सॉनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम, कोर कटिंग, मशीन, सम्पूर्ण सर्वेक्षण इत्यादि के साथ सुसज्जित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रमंडल खेल – फ्लैट

15. वित्त एवं लेखा विंग

15.1 बजट अनुभाग

यह दि.वि.प्रा. के वार्षिक बजट के संकलन और जोनल केन्द्रीय लेखा इकाई कार्यालयों को निधि जारी करने संबंधी कार्य करता है। बजटीय बंटवारे के संदर्भ में यह विभिन्न शीर्षों/परियोजनाओं के खर्चों पर नियंत्रण रखता है। विभिन्न कार्यालयों को वर्ष 2011–12 के दौरान **222205.66 लाख रू०** की राशि जारी की गई:

15.2 लेखा (मुख्य)

मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण के वार्षिक लेखों जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल है, के संकलन का कार्य करता है।

लेखों की स्थिति

(क) वर्ष 2010–11 के दि.वि.प्रा. के वार्षिक लेखों के साथ महालेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा) द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र संसद के दोनो सदनों के समक्ष रखने के लिए भेजा गया।

(ख) जनवरी 2012 तक के मासिक लेखे संकलित किए जा चुके हैं।

प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण (राशि करोडों में)

क्र. सं.	लेखा–शीर्ष	प्राप्तियाँ	भुगतान
1.	नजूल–I	3.60	45.97
2.	नजूल–II	3396.83	5321.04
3.	बीजीडीए	2344.95	1836.76
	कुल	**5745.38**	**7203.77**

15.3 भूमि अधिग्रहण के मामले में भूमि एवं भवन विभाग को भूमि के मुआवजे का भुगतान

मार्च 2012 तक, भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे/बढें हुए मुआवजे के लिए सचिव, भूमि भवन को 447.71 करोड़ रूपए का भुगतान जारी किया गया है।

15.4 योजनाओं का वित्तीय अनुमोदन

(क) 18 आवासीय योजनाओं के संबंध में 4243.00 करोड़ रूपए की राशि का वित्तीय अनुमोदन दिया जा चुका है।

(ख) 37 विकास योजनाओं के संबंध में 1693.63 करोड़ रूपए की राशि का वित्तीय अनुमोदन दिया जा चुका है।

15.5 कार्य लेखा परीक्षा कक्ष

कार्य लेखा कक्ष सभी सात जोनों के मासिक खातों के साथ प्रस्तुत किए गए वाउचरो की लेखा परीक्षा के पश्चात् के कार्य करता है। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति तथा कार्य सलाहकार बोर्ड एजेंडा मदों की संवीक्षा के प्रारंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति देता है।

कार्य लेखा कक्ष ने 01042011 से 31032012 तक की अवधि के दौरान माध्यस्थम, डब्ल्यूएबी, पीईआरपीई एवं पेंशन के 2311 मामलों में कार्यवाही की है।

मोतिया खान में एचआईजी फ्लैट

15.6 दि.वि.प्रा. का पेंशन कक्ष

वित्तीय वर्ष 2011–2012 में पेंशन के 804 मामलों को अंतिम रुप दिया गया और पी पी ओ जारी किए गए । 31–03–2012 तक 14075.45 लाख रुपये के व्यय को पेंशन लाभ पर वहन किया गया।

15.7 आंतरिक निरीक्षण अनुभाग

विभिन्न लेखा परीक्षण योग्य इकाइयों का आंतरिक विभागीय निरीक्षण करने हेतु आंतरिक लेखा इकाई का गठन किया गया है।

लेखा परीक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित कर दिया है और उपलब्धियाँ 100% हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :

अनुभाग का नाम	लेखा परीक्षा करने हेतु लक्ष्य		लेखा परीक्षा की उपलब्धियाँ
आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष	एच.क्यू. इकाइयों की संख्या	21	21
	फील्ड इकाइयों की संख्या	74	74
	कुल इकाइयां	95	95

रोहिणी में चित्रगुप्त पार्क

15.8 बाह्य लेखा परीक्षा कक्ष के कार्य

वर्ष 2011–12 के दौरान बाह्य लेखा परीक्षा कक्ष की उपलब्धियां निम्नानुसार रही हैं :

(क) दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागाध्यक्षों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षा पैराओं का शहरी विकास मंत्रालय और महालेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा) के साथ समन्वय कार्य।

1) पी.ए.सी. रिपोर्टों पैराओं (परीक्षण के लिए पी.ए.सी. द्वारा चुने गए सीएजी पैरा) सी.ए.जी.।

2) पी एस सी (संसदीय स्थायी समिति) रिपोर्टों/पैरा

3) सी ए जी पैरा

4) मसौदा लेखा परीक्षा पैरा

5) तथ्यों का विवरण

इन कार्यों में मुख्यतः उपर्युक्त पैराओं को संबंधित विभागाध्यक्षों को उत्तर प्रस्तुत करने/पैराओं पर टिप्पणी करने के लिए भेजना संबंधित विभागाध्यक्षों से उत्तर/टिप्पणी प्राप्त होने के बाद उस पर कार्यवाही करना और शहरी विकास मंत्रालय एवं महालेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा) को भेजना शामिल है।

(ख) प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्टों और वार्षिक लेखों का प्रकाशन और उन्हें संसद के समक्ष रखने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भिजवाना।

विकास सदन स्थित विभिन्न शाखाओं के रिकार्ड का निरीक्षण/ऑडिटिंग के समय महालेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा) की निरीक्षण करने वाली पार्टियों में समन्वय करना।

(ग) वर्ष 2010–11 हेतु प्राधिकरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजे गए।

डी–6, बसंत कुंज में डीडीए फ्लैट

15.9 चिकित्सा सुविधाएं

1) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. के सेवारत कर्मचारियों, पेंशन धारियों, पारिवारिक पेंशनधारियों और उन के आश्रितों के लाभ हेतु स्वर्ण जयन्ती आरोग्य योजना प्रारंभ की गई।

2) **चिकित्सा सुविधाओं का पुनर्गठन**

(क) दि.वि.प्रा. के सेवारत कर्मचारियों के साथ – साथ पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशनधारियों को ओ.पी.डी उपचार व्यय के चिकित्सा दावों के लिए काउन्टर भुगतान की सुविधा की अनुमति दे दी गई है।

(ख) अस्पतालों से अनिवार्यता प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) पेंशनधारियों के लिए चिकित्सा अंशदान के एकमुश्त भुगतान (10 वर्षों) को लागू कर दिया गया है।

(घ) वेतनमान पर आधारित ओ.पी.डी उपचार के प्रति भुगतान की वार्षिक सीमा को बढ़ा दिया गया है और इस का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।

आस्था कुंज का एक दृश्य

(ङ) पेंशनधारियों के लिए ओ पी डी उपचार दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ा कर छः माह किया गया।

(च) कुछ निश्चित सर्जरियों के मामलों में ऑपरेशन के बाद इलाज को जारी रखने के लिए अनुशंसाओं/प्रमाण पत्रों की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।

(छ) मेडिकल एडवांस देने की शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया गयाः आहरण एवं संवितरण आधिकारियों को 1.00 लाख रुपये तक और उपमुख्य लेखाधिकारी को 2.00 लाख रुपये तक मेडिकल एडवांस स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

15.10 भूमि लागत निर्धारण

भूमि लागत निर्धारण शाखा का मुख्य कार्य विकसित क्षेत्रों/परियोजनाओं जिनमें सांस्थानिक सम्पत्तियां, शामिल हैं, के प्लॉटों/फ्लैटों के आवंटन हेतु वार्षिक पूर्व निर्धारित दरों, क्षतिपूर्ति की दरों, परिवर्तन शुल्क की संगणना के लिए मॉर्किट दरों को निर्धारित करने के साथ साथ व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य संपत्तियों के संबंध में तल क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) निर्धारित करना है।

द्वारका खेल परिसर द्वारका में फिटनैस सेंटर

श्री कपिल सिब्बल, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्री, वजीरपुर गॉव में समाज सदन के उद्घाटन के अवसर पर शिलालेख का अनावरण करते हुए।

श्री तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल दिल्ली एवं दि.वि.प्रा. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिला उद्यान, हौजखास में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी को देखते हुए।

श्री जी.एस. पटनायक, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., विकास सदन में प्रेस कांफ्रेस के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार

Centumad.com